फीजी लो रीफोम कमीशन

फीजी लो रीफोम कमीशन एक्ट क्केप ज्ञ

दण्ड विधान तथा आपराधिक कार्यविधि विधान का विचारणीय विषय

फीजी के कानून सुधारने का अधिनियम के खण्ड अ. को पालन करते हुवे मैं खण्ड अ . के अनुसार, फीजी लो रीफोम कमीशन को, दण्ड विधान अर्थात पीनल कोड और आपराधिक कार्यविधि विधान अर्थात क्रिमिनल प्रोसीजा कोड पुनःविवेचन करने के लिये दे रहा हूँ*

कारण ये है कि हमारे दण्ड विधान अर्थात पीनल कोड और आपराधिक कार्यविधि विधान अर्थात क्रिमिनल प्रोसीजा कोड को बारीकी से पुनःविवेचन करने और सुधारने तथा इन विषयों पर अपनी सिफारिश अर्पित करने, जैसे अपराध, सज़ा दण्ड, न्याय–व्यवस्था, प्रतिवाद अर्थात डीफेन्स और आपराधिक कार्यविधि, जो आजकल के स्थानीय या विश्व परिस्थिति, अवस्था, व्यवहार तथा प्रथा से सम्बन्धित हैं*

इसके अतिरिक्त, इस पुनःविवेचन का प्रस्ताव करना पड़ेगा और अपनी सिफारिश देना पड़ेगा कि फीजी को अपराध या दुर्व्यवहार के लिये एक विधान तैयार किया जा सकता, जो फीजी के वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं एवं परिस्थिति के अनुकूल है, तथा आपराधिक कार्यविधि विधान के लिये एक नये विधान तैयार किया जा सकता जिसे अपराधों को निष्पक्ष मुकदमा मिले, उनके हक और अधिकार सुरक्षित रहे, अपराधों की छानबीन और उनके अभियोग पर निष्पक्ष, सफलतापूर्वक, तेजी एवं कार्यक्षम कार्यवाई मिल सके*

दण्ड विधान अर्थात पीनल कोड

कमीशन को दण्ड विधान में प्रस्तुत अपराध, सज़ा दण्ड, न्याय–व्यवस्था, प्रतिवाद आदि के बारे में पूछ–ताछ करना और उनसे सम्बन्धित विषयों पर पुनःविवेचन करना चाहिये, और उसके बाद में, इसको सुधारने का प्रस्ताव और अपनी सिफारिश देना पड़ेगा, जो फीजी के वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं और परिस्थिति के अनुकूल है, खास करके वर्तमान कानून को न बिगाड़ता हुवा, इन विषयों का ध्यान रखेः

धोकेबाज़ी और छल कपट से जुड़े नये अपराधों और सज़ाओं को सामने लाने की आवश्यकता, जिसमें शामिल है, व्यापारिक धोकेबाज़ी, सीमान्तोपराध, तथा उच्च तकनीक की चोरी जैसे कंप्यूटर और एलेक्ट्रोनिक अपराध

आम उपयुक्त अपराधों को मजबूत करने और उनके लिये नया रंग लगाने की आवश्यकता, जिसमें शामिल है, चोरी

सार्वजनिक व्यवस्था का विधान अर्थात पब्लिक ओडा एक्ट, छोटे अपराध का विधान अर्थात मायनर ओफेन्सेस एक्ट तथा दण्ड विधान के तहत अन्य कानूनों को मजबूत करने की आवश्यकता

फीजी में अनुप्युक्त अपराधों को मिठा देने की आवश्यकता

कि क्या मानव–हत्या के लिये "एक साल एक दिन2 कानून चलता रहे या मिठा दिया जाये और क्या कानून से संबन्धित अन्य परिवर्तन लाना चाहिये या नहीं

कि क्या वर्तमान गर्भपात अर्थात अबोशन के कानून को मिठा दिया जाये या नहीं

फीजी में समलिंगकामी अर्थात होमोसेक्शुवेल कोन्डक्ट के वर्तमान कानून को मिठा दिया जाने की आवश्यकता या नहीं

फीजी में अपराध प्रतिवाद की व्याप्ति और उपयुक्तता, जिसमें शामिल है नशे, आत्म–रक्षा, पागलपन, धमकी, जिम्मेदारी की भूल, बलप्रयोग तथा सच्चाई में गलती

दण्ड विधान अर्थात पीनल कोड और अन्य संबन्धित कानूनों जैसे छोटे अपराध का विधान और खतरनाक औषध या ड्रग्स का विधान के तहत सज़ा और दण्ड को पुनःविवेचित करने की आवश्यकता

वर्तमान सज़ाओं या दण्डों की व्याप्ति का विवेचन की आवश्यकता, खास करके अदालतों को कैदखाने की सज़ा देने की जगह अनिवार्य नौकरी की सज़ा देना, समाज में काम करने का विधान और अन्य प्रकार की सज़ाएँ

फीजी देशवासियों द्वारा विदेश में किया गया अपराध जहाँ मुकदमा न हो पाया जिसमें शामिल है बाहरी अपराधों के खिलाफ मुकदमा चलाने का अधिकार को फीजी के न्यायालय वाले न्याय–व्यवस्थाओं में बदलने या पुनःविवेचित करने की आवश्यकता

फीजी के कानूनी ग्रन्थों में से lकोड2 शब्द निकालने की आवश्यकता ताकि विधान अथवा lएक्ट2 शब्द का प्रयोग अन्य अधिनियमों से जोड़ा जा सकता और यह भी छान–बीन करे कि पीनल कोड अर्थात दण्ड विधान को क्रिमिनल ओफेन्सेस एक्ट अर्थात आपराधिक दुर्व्यवहार विधान या अपराध विधान नामकरण किया जाये

आपराधिक कार्यविधि विधान अर्थात क्रिमिनल प्रसीजा कोड

कमीशन को आपराधिक कार्यविधि विधान वाली व्यवस्थाओं और अन्य विषयों पर यह पूछ–ताछ करना और पुनःविवेचित करना होगा, जिसके बाद वह आरोप लगाये गये लोगों के लिये निष्पक्ष, प्रभावी, शीघ्र तथा सफलतापूर्वक छान–बीन और मुकदमा चलाने की व्यवस्था करे जिसमें उनके हक और स्वतन्त्रता सुरक्षित रहे, और वर्तमान परिस्थिति न बिगाड़ता हुवा, इन विषयों का ध्यान रखेः

आरोप लगाये गये लोगों के पहले हुवी यौन अनुभूति और नेकनामी का सबूत को मुकदमा में पेश करने के कानून

अभियोग लगाने से पहले डायरेक्टर ओफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन से अनुमति लेने की व्यवस्था जिसे किस प्रकार के आरोप लगाया जा सकता है

आधुनिक साज–सामान और टेक्नोलोजी न्नारा अदालत के अन्दर या बाहर से सबूत निकालने की आवश्यकता, ताकि गवाह को अदालत में न पेश किया जाने पर उसकी जगह पर दूर रहने के कारण यह सबूत लिया जा सकता

आधुनिक साज–सामान को प्रयोग करने की आवश्यकता जैसे टेप रिकोडिंग और विडियो टेप ताकि गवाह के मुकदमा के समय में कहे गये शब्दों पर झूठी समझने का आरोप लगाया जा सके जबकि गवाह ने उसी साज–सामान में अपनी गवाही की रिकोर्डिंग की है

बिना वकील ले आने वाले अभियोग लगाये गये लोगों को अदालत में पेश किया जाना जिसमें शमिल है यौनिक दुर्व्यवहार

आपराधिक छान बीन के समय पोलिस का आचार–व्यवहार और उनका कामकाज और कर्तव्य ताकि उनको पता लगें कि उनका आचार व्यवहार अच्छा रहे और न कोई कलंक रहे

निगरानी रखने की आवश्यकता और हराम खौरों की बातचीत बीच में सुनने की व्यवस्था ताकि संघटित अपराधों को पकड़ाया जा सके

मुकदमा और सुनवाई को स्थगित करने के लिये मुकदमाओं में जुर्माना भरने की व्यवस्था

आपराधिक कार्यविधि विधान अथवा क्रिमिनल प्रोसीजा कोड और अपील कोट का विधान अथवा कोट ओफ अपील एक्ट के तहत अपील करने की व्यवस्था और उसमें लिखी गयी विशिष्टताओं को मिठा देने की आवश्यकता

प्रोसिक्यूटरों को नियुक्त करने पर डायरेक्टर ओफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन के अधिकार की व्याप्ति और पोलिस तथा अन्य संस्थाओं न्नारा किये गये अभियोग

उन्मुक्ति प्रदान करने पर डायरेक्टर ओफ पब्लिक प्रोसिक्युशेन का अधिकार और क्या उसको अपनी व्याप्ति में ही बढ़ा दिया जाना चाहिय या नहीं

दूर से सबूत लेने के लिये आधुनिक तकनीकी प्रयोग करने की आवश्यकता

कानूनी अधिकारों की शक्ति और टेलिफोन की बातचीत को बीच में सुनने, सुनने का साधन, lचुपके छिपके2 तलाशी का वरंट आदि से सबूत लेने की स्वीकृति

पूर्व–मुकदमा की अर्ज़ी लगाने की व्यवस्था को पुनःविवेचित करने और क्या इस व्यवस्था के तहत सबूत स्वीकार करने में पूर्व–मुकदमा होना चाहिये

सबूत को प्राप्त करना क्ष्मौखिक परीक्षा के सिवायज्ञ और उदाहरण के लिये सबूत को विडियो टेप न्नारा विशेष गवाह प्रदान करने की व्यवस्था, जैसे सेक्स केस में बच्चों की शिकायत

दोषी ठहराये गये व्यक्तियों का फोरेन्सिक साम्पल अर्थात अदालती नमूना लेने की अनिवार्य व्यवस्था

विवाद के समाधान ढूँढने का अन्य तरीका, जैसे मेल–मिलाप और परिवार के दल और शिकाप्रअपराधी की सभा

पुष्टिकरण पर कानून की व्याप्ति को स्पष्ट करने की व्यवस्था जैसे कानून चाहता है तथा उन अपराधों पर जहाँ सिर्फ lअदालती चेतावनी2 ही ज़रूरत है

फीजी कोट ओफ अपील न्नारा समर्थन की गयी व्यवस्थाओं की उपयुक्तता और स्पष्टीकरण जिसके आधार पर एक विशेषज्ञ अर्थात एक्सपेट दूसरे विशेषज्ञ न्नारा तैयार किया गया सबूत को पेश कर सकता

पत्र–याचना की व्यवस्था के सिवाय औपचारिक प्रणाली के तहत विदेशी सबूत को प्राप्त करना

पति पत्नी के लिये क्षमता और मजबूर करने की कानूनी व्यवस्था

फीजी लो रीफोम कमीशन की आपराधिक सबूत रिपोट अ ऐऐऐ जन्वरी और मुकदमा के संचालन में सबूत के कानूनों को सुधारने की सिफारिशें और क्या वह सबूती विधान में लिखी गयी

मुकदमा की व्यवस्था को एक नये विधान में स्थानान्तरित करना चाहिये जहाँ उसको अकेला खड़े होने का विधान जो अदालती कार्यवाई से संबन्धित है

फीजी के कानूनी ग्रन्थों में से lकोड2 शब्द को निकाल कर lएक्ट2 शब्द को प्रयोग करने की व्यवस्था की जाये ताकि अन्य व्यवस्थाओं के साथ काम में लाया जा सके तथा आपराधिक कार्यविधि विधान अर्थात ⁄किमिनल प्रोसीजा कोड को ⁄किमिनल प्रोसीजा एक्ट कहलाया जा सके

कमीशन को कानून को सुधारने का नापतौल और अपनी सिफारिशों की अन्तिम रिपोट तथा सामान्य □क्ट बिल या □क्ट व्यवस्था को अटोनी जेनरेल तथा जस्टिस मंत्री के पास □ डिसम्बर □ से पहले अर्पित करना पड़ेगा

सूवा में तिथि आज □तारिक मार्च □में

हस्ताक्षर

सेनेटर न्गोरीनियासी म्बाले

अटोनी जेनरेल तथा मिनिस्टर फोर जस्टिस

फीजी लो रीफोम कमीशन

दण्ड विधान अर्थात पीनल कोड और आपराधिक कार्यविधि विधान अर्थात क्रिमिनल प्रोसीजा कोड का पुनःविवेचन

विषय कागजात न.

विभि विधानों, विशेष अपराधों और अप्रयुक्त अपराधों को निकाल देने की व्यवस्था

अ यह कागजात विशेष करके समलिंगकामी अर्थात होमोसेक्शुएल कोन्डक्ट, गर्भपात, वेश्याकर्म, चोरी तथा सारकारिक भ्रष्टाचारी के बारे में है

भाग –पृष्ठभूमि

. पुनःविवेचन

फीजी लो रीफोम कमीशन एक्ट के खण्ड अ. के तहत हमारे अटोनी जेनरेल और मिनिस्टर फोर जस्टिस, सेनेटर न्गोरीनियासी म्बाले, फीजी लो रीफोम कमीशन को पुनःविवेचन करने के लिये दण्ड विधान अर्थात पीनल कोड अ केप . और क्रिमिनल प्रोसीजा कोड अर्थात आपराधिक कार्यविधि विधान अ केप. दे रहा है

. उद्धेश्य

इसका मुख्य उद्धेश्य यह है कि वह बारीकी से दण्ड विधान और आपराधिक कार्यविधि विधान का पुनःविवेचन करे तथा नये रंग लगाकर परिवर्तन की सिफारिशें इन विषयों पर अर्पित करेः

अपराधों
सज़ा या दण्ड
न्याय व्यवस्था
प्रतिवाद अर्थात डीफेन्स
आपराधिक कार्यविधि

यह सिफारिश स्थानीय और विदेशी अवस्था, परिस्थिति, प्रवृत्ति और प्रथा से प्रतिबिम्बित और प्रतिक्रियाशील होनी चाहिये* ऐसा अनुमान है कि इस पुनःविवेचन से आधारित सुधार–कार्य फीजी को आपराधिक दुर्व्यवहारों और कार्यवाई का एक नया प्रसंग देगा जो फीजी के वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं तथा परिस्थिति के अनुकूल है

आपराधिक कार्यवाई से संबन्धित कानून इस प्रकार होना चाहियेः

यह तय करे कि अपराधियों को न्यायसंगत मुकदमा मिले
संदेहजनक व्यक्ति या अपराधी ठहरे लोगों का अधिकार और स्वतंत्रता सुरक्षित रहे
छान बीन और अपराधों का अभियोग और उनकी सुनवाई के लिये न्यायसंगत, फलप्रद, शीघ्र और कार्यक्षम मुकदमा दिया जाना चाहिये
अन्तर्राष्ड्डीय स्तर और हुक्म को पालन करना चाहिये

. पुनःविवेचन की अवधि

सुधार और संबन्धित प्ट बिल या प्ट प्रोवीशन को लेकर कमीशन को अपनी अन्तिम रिपोट, साथ में नापतौल और अपनी सिफारिश अटोनी जेनरेल और मिनिस्टर फोर जस्टिस को डिसम्बर से पहले अर्पित करना चाहिये

. योजना का संचालन

इस योजना का संचालन फीजी लो रीफोम कमीशन न्नारा न्यू ज़ीलेन्ड ऐड के सौजन्य से किया जा रहा है*

सभी कामकाज और परिणाम समय समय पर एक प्रोजेक्ट मेनेजमेन्ट कमीटी न्नारा देख भाल की जायेगी जिसके सदस्यगण कई मुख्य साझेदारी रहेंगे*

कमीशन के एक्ज़ेकेटिव चेयरमेन, श्री आलीपाते न्गेताकी ने, दो वकीलों को इस पुनःविवेचन में काम करने के लिये नियुक्त किया है* यह है रारामासी सालाकुम्बोऊ और दामा तुम्बेरी*

. परामर्शदाताओं की नियुक्ति

फीजी लो रीफोम कमीशन एक्ट के खण्ड अ. के तहत अटोनी जेनरेल ने कमीशन को इस पुनःविवेचन में परामर्श देने के लिये रोस रेय क्यू सी, डेविड नील एस सी तथा ग्रेहम पावल को नियुक्त किया है* इन परामर्शदाताओं को अन्तिम रिपोट और सुधार की सिफारिश तैयार करने में सहायता देंगे तथा उपयुक्त व्यवस्थाओं की तैयारी करने और प्ट बनाने में सहारा देंगे* वे जनता और साझेदारियों के साथ सभा करने की तैयारियाँ भी करेंगे, और यह भी तय करेंगे कि इस सभा से उत्प सभी विचारों को प्ट परिणाम में छाप दिया जाये*

भाग प्रारम्भिक टिप्पणी

 प्रारम्भिक टिप्पणी

इस कागजात में दिये गये विषयों पर विचार–विमर्श और प्रतिक्रिया दर्शाने की तैयारी की गयी है* परामर्शदाताओं इस क्षेत्र के विशेषज्ञ ही है, खास करकेः
श्री रोस रेय क्यू सी आप अपराध न्यायालय का एक जाने माने वकील है, आप ऐऐ में क्वीन्स कौन्सेल में नियुक्त किये गये थे* आप विक्टोरिया बार कौन्सेल का एक भूतपूर्व चेयरमेन थे और अभी हाल ही में आपको ओस्ड्रेलियन लो कौन्सेल के प्रधान नियुक्त किये गये हैं*
श्री डेविड नील एस सी आप विक्टोरियन लो रीफोम कमीश्नर थे और कोमनवेल्थ ओफ ओस्ड्रेलिया के क्रिमिनल कोड एक्ट ऐऐ की तैयारी में एक मश्हूर कलाकार थे
श्री ग्रेहम पावल आप फीजी और दक्षिण प्रशान्त पड़ोसी देशों के कानूनों की तैयारी में भी एक मश्हूर कलाकार थे

लेकिन फीजी के प्रसंग से बहुत कुछ सीखना है और सभी विचारों को आमन्त्रित किया गया है* सभी अनुभूतियाँ शिक्षाप्रद है और सभी विषयों को पहचाना जायेगा और ध्यान दिया जायेगा*

 फीजी के कानूनों

जैसे कि इस पुनःविवेचन में दो मुख्य कानूनों का हक है और वह है दण्ड विधान और आपराधिक कार्यविधि विधान, वैसे कई अन्य कानून भी है, और प्रस्तावित किये गये कानूनों, जो इस कानून से सीधे संबन्धित हैं और फीजी में कानूनी कार्यवाई कैसे संचलित किया जाता है*

यह संबन्धित कानून में शामिल हैंः
अदालतों की न्याय–व्यवस्था के अनुसारः
सुप्रीम कोट के विधान
कोट ओफ अपील के विधान
हाई कोट के विधान
मेजिस्ड्रेट कोट के विधान
नवयुवक अर्थात जुविनैल के विधान

कई आपराधिक दुर्व्यवहारों को तैयार करता हुवाः
छोटे मोटे अपराधों के विधान अ केप. ऐ
सार्वजनिक सुरक्षा के विधान अ केप ऐ ऐ
सार्वजनिक आदेश के विधान अ केप. ऐऐ
खतरनाक औषधों के विधान अ केप . ऐ
गैरकानूनी औषधों के विधान
लेन्ड डुान्सपोट के विधान
दण्ड विधान को अ घरेलु अत्याचार सुधारने की बिल

आपराधिक व्यवस्था और कार्यवाईयाँ
बेइल अर्थात ज़मानत के विधान
साबूत के विधान अ केप ऐ
निर्वासन अर्थात डीपोटेशन के विधान अ केप ऐ ऐ
आपराधिक कार्यविधि के विधान अ घरेलु अत्याचार सुधारने की बिल

सज़ा और दण्ड देने का विकल्पः
दण्ड विधान–अध्याय छः सज़ा
अपराधियों का परीक्षण लेने का समय अ केप ऐ
समाज सेवा के विधान ऐऐ

भाग कुछ मुख्य बातें

 संबन्धित कानूनों की ढाँचा

इस पुनःविवेचन की शुरुआत में परामर्शदाताओं ने निर्णय लिया है कि उपयुक्त सुधार की व्याप्ति में पूरे पैमाने पर नये कानून बनाना अति आवश्यक है और वर्तमान दण्ड विधान और आपराधिक कार्यविधि विधान की जगह लेना चाहिये* इसको साझेदारियों ने भी समर्थन किया है और यह भी कहा कि इन विधियों को नया नाम दिया जाना चाहिये* इसमें शामिल है दोनों विधियों में से 1कोड2 शब्द को निकालने की अनुमति और दण्ड विधान को अपराध विधान कहलाया जाये*

जनता की टिप्पणी की मांग कमीशन शायद यह प्रस्तावित करेगा कि पुनःबनाये गये कानूनों को इस प्रकार कहलाये जायेंगेः एक आधुनिक अपराध विधान एक व्यापक आपराधिक कार्यविधि विधान बिलकुल नवीनतम दण्ड और सज़ा का विधान इस विषय पर विचार अवश्य भिन्न रहेगा लेकिन फीजी लो रीफोम कमीशन हर विचार को स्वीकार करेगा, चाहे समर्थन या विरोध का हो

 सुधार के लिये विशेष अपराधों का ध्यान में रखना

 समलिंगकामी अर्थात होमोसेक्शुवेल से संबन्धित अपराधों

समालिंगकामी का अपराध और इसे संबन्धित अपराधें फीजी में अभी हाल ही में बढ़ चुके हैं*

दण्ड विधान में संब़ व्यवस्था हैः
खण्ड अ ए–में किसी व्यक्ति के प्रति प्रकृति के खिलाफ कामुकता हो

खण्ड अ सी–में किसी मर्द को दूसरे मर्द या स्त्री के बारे में प्राकृति के खिलाफ कामुकता लेने की अनुमति देना
खण्ड –में मर्दों के मध्य में अश्लील व्यवहार

हाल ही में हाई कोट के निर्णय में धिरेन्द्रा नादन और थोमस मेक्कोस्टर वेसस स्टेट वाले केस में अ अगस्ट. इन व्यवस्थाओं को असंवैधानिक कहा गया है क्योंकि वह संविधान के खिलाफ लोगों की प्रायवेसी अर्थात एकान्त और समानता के कानून तोड़ता है* यह निर्णय युनैटेड नेशेन्स हूमन रैट्स कमीटी के इसी प्रकार के अपराध पर निर्णय लिया गया है कि यह अन्य देशों में इसका सही रूप नहीं है*

न्यायाधीश ने तय किया कि इन कानूनों की अमान्यता मर्द बलत्कार या नरभक्षी मर्द के प्रति अश्लील व्यवहार से संबन्धित नहीं है

जनता से टिप्पणी की मांग

कमीशन शायद यह प्रस्तावित करेगा कि:
जिन कानुनों को खण्ड अ ए और अ सी तथा खण्ड में प्रचलित हैं उनको नये अपराध विधान में प्रचलित नहीं करना चाहिये
बलत्कार के अपराध अलिंगी रहेगा और दोनों को इस कानून में फँसेंगे एक मर्द दूसरे मर्द को बलत्कार करना या एक स्त्री दूसरी स्त्री को
घोर अश्लील व्यवहारों को भी इस अलिंगी प्रसंग में शामिल होंगे

कमीशन को मालूम है कि इस विषय पर भिन्नता होगी लेकिन वह लोगों से सुनना चाहता है और सभी विचारों को स्वीकार किया जायेगा

गर्भपात अर्थात अबोशन का अपराध

दण्ड विधान में तीन वर्तमान गर्भपात का अपराध है और यह है:
खण्ड –गर्भपात में पैसा कमाना
खण्ड –किसी गर्भविणी स्त्री का गर्भपात
खण्ड –गर्भपात मे पैसा कमाने के लिये औषध या सूजा सामान देना

अन्य संबन्धित व्यवस्थाएँ:
खण्ड –एक अजन्मा शिशु की हत्या करना
खण्ड –सूजा से चीड़–फाड़ करना अ वर्तमान कानून में सूजा से चीड़–फाड़ करने की व्यवस्था नहीं है यदि कार्य माता के जीवन बचाने में सही रूप से किया जा रहा है

इन व्यवस्थाओं को पिछले सालों में कई बार फीजी में अदालत में पेश की गयी हैं और इंगलेन्ड के कानून की तरह रद्दो बदल करने की आवश्यकता पर निर्णय लिया गया है* यह संशोधन की कार्यक्षमता को निश्चित व्यक्ति को गर्भपात करने की सही राह दिखाता है ताकि मानव जीवन को बचाया जा सकता और मानव स्वास्थ को भी रक्षा कर सकती*

इन कानूनों को फीजी लो रीफोम कमीशन न्नारा ऐऐ और ऐऐ में दो पोसिशन पेपर में ध्यान लगाने के लिये प्रस्तावित किया गया था* उन दोनों अवसर पर यह निर्णय लिया गया था कि गर्भपात अपराध ही रहेगा मगर इन परिस्थितियों में कायम किया गया हो:

. यदि डाक्टर अच्छे विश्वास से निर्णय लिया कि गर्भवति को खत्म किया जाये:

कि गर्भविणी स्त्री की जान खतरा है और गर्भपात उसके जीवन को बरबाद कर सकता या उसके धीमागी संतूलन को हड़बड़ा सकता अ गर्भविणी स्त्री के रहने की जगह को देखने के बाद़ या
कि शिशु की स्थिति बिगड़ सकती और यह ज्ञात है कि यदि शिशु पैदा हुवी तो उसकी धीमागी संतूलन बिगड़ सकता या फिर उसको हेन्डीकेप कर सकता
कि गर्भावस्था बलत्कार से हुवी है

 गर्भपात करने की अन्य उपाय:

यदि गर्भविणी स्त्री को पागलपन के कारण बच्चा को पालने में असमर्थ है, या
यदि पति पत्नी न्नारा प्रयोग किया गया विलास–यन्त्र बिगड़ गया हो जिसे उनको अपना परिवार की संख्या कम कर सकते, या
यदि गर्भावस्था एक पागल स्त्री को बलत्कार किये जाने के कारण से हुवी है

 ऐसा निर्णय लिया गया था कि गर्भवति अन्त करने के लिये गर्भावस्था के समयानुसार डाक्टरों की संख्या के आधार पर किया जाना चाहिये* उदाहरण के लिये:

यदि हफ्तों की है तो एक डाक्टर की ज़रूरत है
यदि से हफ्तों तक हो गयी हो तो दो डाक्टरों की ज़रूरत है या ऐसा देखा जा सकता है कि बच्चा अपने आपको जी सकता और डाक्टर को जान बचाना चाहता है या उसको चोट पहुँचा सकती
यदि महिने की हो गयी है तो तीन डाक्टरों की ज़रूरत है

जनता से टिप्पणी की माँग कमीशन अभी कुछ कह नहीं सकता कि क्या गर्भपात का सही रूप में अपना विचार डालना है और गर्भपात करने के कानूनी कार्यवाई पर निर्णय लिया जाये या नहीं* इस पर जनता के विचार आमन्त्रित किया गया है

 वेश्यावृत्ति अर्थात प्रोस्टिट्यूशन

वर्तमान दण्ड विधान में कई अपराध है जो वेश्यालय और रास्तों में वेश्या–कर्म से जुड़े हुवे हैं* वह है:

खण्ड –पैसा कमाना अ औरतों या लड़कियों को वेश्याकर्म करने के लिये पैसा देना
खण्ड – –स्त्रियों को वेश्यालय में बन्द रखना
खण्ड –अश्लील व्यवहारों के लिये छोटी छोटी लड़कियों को बेचना जो सोलह साल से कम हैं
खण्ड –अश्लील व्यवहारों के लिये छोटी छोटी लड़कियों को खरीदना जो सोलह साल से कम हैं
खण्ड –वेश्याकर्म में मर्द फायदा उठा रहा है या अपने मन के काम कर रहा है
खण्ड –वेश्याकर्म में स्त्रियों का फायदा या अन्य स्त्रियों को भरमा कर पैसा कमा रही है
खण्ड –आवारा फिरना या वेश्याकर्म के लिये मटरगश्टी करना
खण्ड –संदेहजनक घरों
खण्ड –वेश्यालय

जनता से टिप्पणी की मांग

कमीशन शायद यह प्रस्तावित करेगा कि इसमें से कई व्यवस्था है जो 1मानव अदला–बदली2 अपराध में ही जोड़ा जा सकता और अन्य गंभीर अपराधें जिसमें अश्लील व्यवहार का संकेत है* वह यह भी तय करेगा कि इन अपराधों में अलिंगता रहेगी* छोटी छोटी लड़कियों के साथ अश्लील व्यवहार करने वाले अपराधों को कानून सुधार में ठीक किया जायेगा* शायद यह जरूरी है कि उपयुक्त कानूनों को उन लोगों की ओर नज़र डाले जो वेश्याकर्म से फायदा उठा रहे हैं, उलटे से वेश्याओं को नहीं*

हर हाल में कमीशन जनता के विचारों से अपना कार्य संभालेगा और यह सब अमन्त्रित हैं*

चोरी अर्थात लासेनी का अपराध

वर्तमान दण्ड विधान में कई व्यवस्था हैं जो चोरी, गबन, रूपान्तरण, पेड़ों को लूटना और बरबाद करना, कई कागजातों की बरबादी, लूटमार और खसोट, सेंधमार और घर तोड़, डुस्टी से चोरी तथा छल कपट से जुड़े हुवे हैं* दरअसल, इस मामले में लगभग व्यक्तिगत अपराध हैं*

उधर कोमन्वेल्थ ओफ ओस्ट्रेलिया के ऐऐ वाले अपराध विधान में इस मामले में तीन मुख्य अपराधों का दावा है:

चोरी और नीचे दिये गये अपराधों का संबन्ध
झूठी से किसी की प्रोपटी हरण करना
झूठी से किसी के पैसे हरण करना

ऐसा विश्वास है कि यह मामले सबसे आधुनिक युनैटड किंगडम के थेफ्ट एक्ट ऐ का पुनःविचार ही है*

जनता की टिप्पणी की मांग कमीशन शायद यह प्रस्तावित करेगा कि दण्ड विधान के वर्तमान चोरी और चालाकी वाले अपराध आधुनिक व्यवस्था से ही बदल दिया जाये* संभव है कि इसका असली प्रसंग कोमन्वेल्थ ओफ ओस्ट्रेलिया के क्रिमिनल कोड एक्ट ऐऐ से ही जुड़े हुवे है और इन विषयों को प्रकाशित करेगाः चोरी अ दस साल की सज़ा स्वीकार करना अ दस साल की सज़ा लूटमार अ पन्द्रह साल की सज़ा बदतर लूटमार अ बीस साल की सज़ा घर तोड़कर चोरी करना अ तेरह साल की सज़ा बदतर घर तोड़कर चोरी करना अ सतरह साल की सज़ा बिना किराया भरकर भागना अ दो साल की सज़ा चोरी के लिये हतियार ले चलना अ तीन साल की सज़ा झूठी से प्रोपटी छीनना अ दो साल की सज़ा झूठी से प्रोपटी या पैसा छीनना अ दस साल की सज़ा चोरी का अन्य अपराधः पैसा से फायदा उठाना–बारह महिनों की सज़ा चोरी करने का षड्यंत्र रचाना–फायदा उठाना, हानि पहुँचाना, एक सरकार के कर्मचारी को भरमाना–दस साल की सज़ा इन अपराधों में से हर विशेष प्रसंग में स्पष्ट परिभाषा दी जायेगी, जिसमें शामिल हैः बेईमानी प्रोपटी स्थायी रूप से अपहरण करना प्रोपटी में काले रंग लगाना–ताकि लोग जान न पाये कि अन्दर चोरी की चीज़ें छिपी हुवी है लेना या स्विकार करना खतरनाक हतियार कमीशन इस मामले में सभी विचारों को स्विकार करेगा

घूस या भ्रष्टाचारी

दण्ड विधान में इस प्रकार के कई अपराध हैं* ऐसा अनुभव किया गया है कि ऐसा अपराध फीजी के आधुनिक समाज में अच्छे सरकार की बढ़ावा को बरबाद कर रहा हैः इसमें शामिल हैंः

खण्ड भ्रष्टाचारी
खण्ड सरकार के कर्मचारियों को धनकी देना
खण्ड सरकार के कर्मचारियों प्रोपटी लेते हैं सहायता के नाम से
खण्ड –किसी प्रोपटी की देख–भाल के लिये किसी कर्मचारी को सौंपा गया हो
खण्ड अफ्सरों से झूठी क्लेम
खण्ड –अधिकार दुरुपयोग
खण्ड सरकार के कर्मचारियों न्नारा झूठी सेटिफिकेट
खण्ड बिना अनुमति से किसी को कसम खवाना
खण्ड झूठी से अधिकार सौंपना
खण्ड सरकार के कर्मचारी के नाम से झूठ बोलना
खण्ड सरकार के कर्मचारी को चोट पहुँचाने की धमकी देना
खण्ड उपहार झूठी से लेना
खण्ड सरकार के कर्मचारी से चोरी और भरोसा का भस्म
खण्ड भ्रष्ट व्यवहार
खण्ड सरकार के कोन्डुक्ट में चुपके से कमीशन उठाना
खण्ड भ्रष्ट व्यवहार में बहाना लगाना

यह सब मामले फीजी लो रीफोम कमीशन के पहले वाले रेफेरेन्स में जाँच किया गया था* इस रेफेरेन्स में से निकले मुख्य प्रस्ताव कुछ ऐसा हैः

कि इन अपराधों को दण्ड विधान से निकाला जाये और घूसखोरी तथा भ्रष्टाचारी के कानूनों में लिखा जाये
इन अपराधों के नामावली में परिवर्तन चाहिये
कि जहाँ सांस्कृतिक व्यवहार चाहिये वहाँ ज़ीरो टोलेरेन्स पोलिसी दी जानी चाहिये
कि दिया गया उपहार का दाम ५ होना चाहिये* अ सरकार के कर्मचारियों को सभी उपहारों की रिकोड करना चाहिये
खण्ड के प्रसंग सभी भ्रष्टाचारी के अपराधों तक जोड़ना चाहिये जहाँ पैसा का अदान प्रदान हुवा है
तनिक सस्पेन्डेड सेन्टेन्स भ्रष्टाचारी वाले मुकदमा में नहीं दिया जाना चाहिये
उपहार को अनुरोध करने या स्वकिार करने और अपरिचित प्रोपटी को हरण करने के दो नये अपराधों को ध्यान में लाना चाहिये

अभी हाल ही में हमारे मंत्री–मण्डल भ्रष्टाचारी के लिये एक अधिकार संस्था स्थापित किया है* कई दुर्व्यवहार अपराध हमारे दण्ड विधान में लिखा जायेगा, जबकि अन्य विषयों जिसमें अतिरिक्त अपराध शामिल है, विशेषतः अलग से भ्रष्टाचारी के कानूनों में बरीकी से लिखा जायेगा*

जनता से टिप्पणी की मांग

इस पुनःविवेचन के कार्य में कमीशन शायद दण्ड विधान में प्रचलित भ्रष्टाचारी के कानूनों को बरीकी से बदलने का प्रस्ताव नहीं करेगा* कमीशन शायद इसका आधुनिक रूप ढूँढने का प्रयास करेगा और पड़ोस के सरकारों से आधुनिक व्यवस्था का नमूना लेगा* वह शायद पुनःनिर्णय भी लेगा

कि भविष्य के लिये अलग से एक व्यापक कानून को निर्धारित किया जाये और ऐसा कानून पुनःलिखा गया विधान के भ्रष्टाचारी अपराधों को एक नया रंग दे या उसकी जगह ले*

इस खण्ड के मामले पर जनता की टिप्पणी स्वीकार्य है

□□ जान–बूझकर या लापरवाही से हेच आय वी और अन्य बीमारियों को फैलाना

वर्तमान दण्ड विधान में कोई ऐसी कार्यक्षम व्यवस्था नहीं है जो बीमारी को फैलाने की व्यवस्था करती है न ही किसी के स्वस्थ के खतरा को बचा सकती* जो वर्तमान कानून में है वह है:

खण्ड ऐ□ लापरवाही से बीमारी फैलाना
खण्ड □ जादू टोना और अभिचार

दण्ड विधान के खण्ड □ की व्यवस्था जिसमें मानव जीवन और स्वस्थ खतरा जो लापरवाही से बीमारी को फैला दिया गया है, इस नये कानून में लिखा जा सकता*

जनता से टिप्पणी की मांग

कमीशन लोगों के विचार स्वीकार करता है जहाँ ऐसा पता लगा कि बीमारी का फैलाव दूसरों के लापरवाही से हो रहा है

□□ अनुप्युक्त अपराधों को निकाल फेंकना

ऐसा अनुभव है कि दण्ड विधान के कई अपराध है जो अनुप्युक्त और बेकार हो गया है या अन्य व्यवस्थाओं में डाला जाये* इसके अतिरिक्त पोलिस ने अधिकाँश अपराधों को पाया है जो आजकल नहीं होता है और वे प्रयोग नहीं करते हैं* ऐसा समझा जाता है कि जितने भी चोरी या लासेनी का अपराध है उन्हें आधुनिक तौर पर चोरी अपराध के विधान में डाला जाये* यह भी निर्णय किया गया है कि देशद्रोह अर्थात ड्डीसन, राजद्रोह और अश्लील व्यवहारों के अपराधों को बारीकी से पुनःविवेचित करना चाहिये*

यह भी ध्यान में लाना ज़रूरी है कि नये दण्ड विधान में जितने भी शारीरिक पिटाई के प्रसंग है वह सब मिठा दिया जाये क्योंकि यह असंवैधानिक माना गया है*

नये दण्ड विधान में न लिखा जायेंगे अपराधों इस प्रकार है:

पुराने या अनुपयुक्त अपराधों:

खण्ड □ विदेशी राजकुमारों का अपमान
खण्ड □ घूसेबाज़ी करने में धमकी देना
खण्ड □ चौकीमारी के लिये भीड़ इकठ्ठा करना

खण्ड –सरकार के कर्मचारी न्नारा धमकी–पोलिस ने व्यर्थ समझा क्योंकि खण्ड ही चालू है

खण्ड .–सरकार में काम करने वालों के प्रति धमकी–पोलिस ने इसको व्यर्थ समझा क्योंकि

खण्ड ही चालू है

खण्ड –सरकार में काम करने वालों के प्रति धमकी–पोलिस ने इसको व्यर्थ समझा

खण्ड .–विवाह करने के लिये झूठ बोलना– पोलिस ने इसको व्यर्थ समझा

खण्ड .–अयोग्य विवाह कानून के खिलाफ सम्पन्न होना–पोलिस ने इसको व्यर्थ समझा

खण्ड ऐ–गन्ने की इंजन को कानून के खिलाफ चलाना

खण्ड –जादू टोना और अभिचार

खण्ड –इंजन के चालकों को धमकी देना

खण्ड –चीफ अकौन्टेन्ट के किताबों में झूठी से नाम देना

यह है उन मामले जो अन्य व्यवस्थाओं में जोड़ा जा सकता:

खण्ड ऐ–पोलिस ने इसको व्यर्थ समझा कयोंकि यह पी एस सी के कोड ओफ कोन्डक्ट में ही प्रचलित है

खण्ड ऐ–भोजन में खोट मिलाना

खण्ड ऐ–विषैले भोजन या पानी बेचना

खण्ड ऐ–हवा को मैला करना

खण्ड .–लापरवाही से गाड़ी चलाने में मृत्यु पहुँचाना–पोलिस ने इसको व्यर्थ समझा क्योंकि यह एल टी ए विधान में ही प्रचलित है

खण्ड –झूठी बत्ती, चिन्ह और बोया बेचना

खण्ड –बिगड़ी हुवी गाड़ी या भरा नाव में सामान ढोना

खण्ड –हानि हुवी चीज़ों की देख–भाल करने वालों को मारना

खण्ड –कानून के खिलाफ अनिवार्य नौकरी करवाना

खण्ड –जानवरों में फैलने वाली बीमारियों को फैलाना

खण्ड ऋऋऋ–सोना चाँदी और बेन्क करन्सी नोट वाले अपराध

जनता से टिप्पणी की मांग

जैसे ऊपर दिया गया है कमीशन का ऐसा अनुभव है कि इन अपराधों को नये दण्ड विधान से मिठा दिया जाये* लेकिन, कई ऐसा अनुभव है जो बहुत कम स्पष्ट है जिसे उनको बचाया जाये या उनको नया रंग दिया जाना चाहिये*

कमीशन जनता को इस विषय पर अपना विचर डालने को आमन्त्रित किया है और इन विषयों पर आधारित हों:

नये दण्ड विधान में इन अपराधों को प्रतिधारण किया जाने की कोई उपाय हो, चाहे इसको नया रंग दिया जाये या नहीं

दण्ड विधान के अन्य अपराध जो अनुपयुक्त है या अन्य कानूनों में लिखा गया है, जो नये विधान से मिठा दिया जा सकता*

फीजी लो रीफोम कमीशन

दण्ड विधान अर्थात पीनल कोड और आपराधिक कार्यविधि विधान अर्थात क्रिमिनल प्रोसीजा कोड का पुनःविवेचन

विषय कागजात न.

अपराध के कानून के आधार पर अन्तर्राष्ड्डीय और ईर्द गिर्द के कानूनों के अनुसार कानूनी पालन

भाग –पृष्ठभूमि

. पुनःविवेचन

फीजी लो रीफोम कमीशन एक्ट के खण्ड अ. के तहत हमारे अटोनी जेनरेल और मिनिस्टर फोर जस्टिस सेनेटर न्गोरीनीयासी म्बाले फीजी लो रीफोम कमीशन को पुनःविवेचन के लिये दण्ड विधान अर्थात पीनल कोड अ केप .और आपराधिक कार्यविधि विधान अर्थात क्रिमिनल प्रोसीजा कोड अ केप. दे रहा है*

. उद्देश्य

इसका मुख्य उद्देय यह है कि वह बारीकी से दण्ड विधान और आपराधिक कार्यविधि विधान का पुनःविवेचन करे और नये रंग लगाकर परिवर्तन की सिफारिशें इन विषयों पर अर्पित करें:

अपराधों
सज़ा या दण्ड
न्याय व्यवस्था
प्रतिवाद अर्थात डीफेन्स
आपराधिक कार्यविधि

यह सिफारिश स्थानीय और विदेशी अवस्था, परिस्थिति, प्रवृति, और प्रथा से प्रतिबिम्बित और प्रतिक्रियाशील होनी चाहिये* ऐसा अनुमान है कि इस पुनःविवेचन से आधारित सुधार कार्य फीजी को आपराधिक दुर्व्यवहारों और कार्यवाई का एक नया प्रसंग देगा जो फीजी के वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं तथा परिस्थिति के अनुकूल हैं*
आपराधिक कार्यवाई से संबन्धित कानून इस प्रकार होना चाहिये:

यह तय करे कि अपराधियों को न्यायसंगत मुकदमा मिले
संदेहजनक व्यक्ति या अपराधी ठहरे लोगों का अधिकार और उनकी स्वतंत्रता सुरक्षित रहे
छान बीन और अपराधों का अभियोग और उनकी सुनवाई के लिये न्यायसंगत, फलप्रद, शीघ्र और कार्यक्षम मुकदमा दिया जाना चाहिये
अंतर्राष्ट्रीय स्तर और हुक्म को पालन करना चाहिये

. पुनःविवेचन की अवधि

सुधार और संबन्धित ड्राफ्ट बिल या ड्राफ्ट प्रोवीशन को लेकर कमीशन को अपनी अन्तिम रिपोट, नापतौल और अपनी सिफारिश अटोनी जेनरेल और मिनिस्टर फोर जस्टिस को डिसम्बर से पहले दे देना चाहिये*

. परामर्शदाताओं की नियुक्ति

फीजी लो रीफोम कमीशन एक्ट के खण्ड अ. के तहत अटोनी जेनरेल ने कमीशन को इस पुनःविवेचन में परामर्श देने के लिये श्री रोस रेय क्यू सी, श्री डेविड नील एस सी, और श्री ग्रेहम पावल को नियुक्त किया है* इन परामर्शदाताओं को अन्तिम रिपोट और सुधार के लिये सिफारिश तैयार करने में सहायता देंगे तथा उपयुक्त व्यवस्थाओं की तैयारी करने और ड्राफ्ट बनाने में सहारा देंगे* वे जनता और साझेदारियों के साथ सभा करने की तैयारियाँ भी करेंगे और यह भी तय करेंगे कि इस सभा से उत्पन्न सभी विचारों को अन्तिम ड्राफ्ट में छाप दिया जाना चाहिये*

भाग प्रारम्भिक टिप्पणी

 प्रारम्भिक टिप्पणी

इस कागजात में दिये गये विषयों पर विचार–विमर्श और प्रतिक्रिया दर्शाने की तैयारी की गयी है* परामर्शदाताओं इस विभाग का विशेषज्ञ ही है, खास करकेः
श्री रोस रेय क्यू सी आप अपराध न्यायालय का एक जाने माने वकील हैं आपको ऐऐ में क्वीन्स कौन्सेल में नियुक्त किया गया था* आप विक्टोरिया बार कौन्सेल का एक भूतपूर्व चेयरमेन थे और अभी हाल ही में आपको ओस्ट्रेलियन लो कौन्सेल के प्रधान नियुक्त किये गये थे*
श्री डेविड नील एस सी आप विक्टोरियन लो रीफोम कमीश्नर थे और आप कोमन्वेल्थ ओफ ओस्ट्रेलिया के क्रिमिनल कोड एक्ट ऐऐ की तैयारी में एक मश्हूर कलाकार थे*
ग्रेहम पावल आप फीजी और दक्षिण प्रशान्त पड़ोसी देशों के कामूनों की तैयारी में भी एक मश्हूर कलाकार थे*

लेकिन फीजी के प्रसंग से बहुत कुछ सीखना है और सभी विचारों को अमन्त्रित किया गया है* सभी अनुभूतियाँ शिक्षाप्रद हैं और सभी विषयों को पहचाना जायेगा तथा ध्यान दिया जायेगा*

 फीजी के संविधान में अन्य संबन्धित व्यवस्थाएँ

अन्तर्राष्ट्रीय कर्तव्यों को पालन करते हुवे फीजी के संविधान पर सम्मान देना जरूरी है* इसमें शामिल हैं:
अन्तर्राष्ट्रीय परम्परा के अनुसार संबन्धित व्यवस्थाएँ:
खण्ड संविधान की व्यवस्था की परिभाषा के अनुसार मानवाधिकार को मान्यता देते हुवे कार्यों को आदर करना ज़रूरी है

मानवाधिकार की मान्यता और लागू करने की व्यवस्था इस प्रकार है:

खण्ड हर व्यक्ति के पास जीने का अधिकार है और उसको जबरदस्त रोकना मना है
खण्ड व्यक्तिगत मुक्ति का हक स्पष्ट रूप से दिया गया है
खण्ड सेवा और जबरदस्त नौकरी से मुक्ति पाने की व्यवस्था की गयी है
खण्ड क्रूर और अपमानजनक व्यवहारों से मुक्ति पाने की व्यवस्था की गयी है
खण्ड अनुचित तालाशी और चीज़ पकड़वाने से मुक्ति पाने की व्यवस्था की गयी है
खण्ड गिरफ्तार और कैदी में डाल दिये गये लोगों का अधिकार की व्यवस्था भी दी गयी है
खण्ड . किसी चाज किया गया व्यक्ति को अपना केस लड़ने के लिये समय दिया जाना चाहिये और अपने मन के वकील से संपर्क करने का मौका दिया जाना चाहिये* कानून के खिलाफ किसी प्रकार के सबूत प्रयोग नहीं करना चाहिये जब तक न्याय की रूचि से प्रदान करने को न कहा गया हो* अपराधी के बिना मुकदमा नहीं चलना चाहिये यदि वह सोचा कि उसको हाजिर नही होना है और मुकदमा में न आना चाहते* उच्च अदालत में अपील करने की व्यवस्था है* किसी को दोबारा एक अपराध में चाज नहीं करना चाहिये*
खण्ड हर व्यक्ति के पास न्यायसंगत मुकदमा का हक है और निश्चित समय में अपना केस सुनवाने का मौका दिया जाना चाहिये
खण्ड एकान्त का अधिकार भी है
खण्ड . कानून के सामने बराबरी का हक भी है

संविधान के तहत अन्य अधिकार और स्वतंत्रता भी है जिसमें शामिल है अभिव्यक्त करने का अधिकार अ खण्ड . , इकठ्ठा, अ खण्ड , संस्था अ खण्ड . , नौकरी के संबन्ध अ खण्ड . , यातायात अ खण्ड . , धर्म और आस्था अ खण्ड . , गुप्त चुनाव अ खण्ड . , तथा शिक्षा अ खण्ड

खण्ड में इन अधिकारों की व्यवस्था की गयी है* और खण्ड में ह्युमन रैट्स कमीशन की व्यवस्था है*

भाग अंतर्राष्ट्रीय और ईर्द गिर्द के देशों के कानून के अनुसार कुछ संबन्धित विषयों

 अंतर्राष्ट्रीय वचनब्र के प्रसंग पर क्या करना चाहिये

कई अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसे सरकार के विभिन्न पक्षों को अपने देश के कानून में उन अपराधों को प्रदर्शित करने का हुक्म दिया है जो अंतर्राष्ट्रीय देशों धमकी समझते हैं* इसमें शामिल हैं कई समझौते जिसे सरकार उन कानूनों को प्रदर्शित करना पड़ता है और अति विस्तार है, जैसे:

गांजाखोरी
संघ में दुर्व्यवहार करने का अपराध
मानव का अदान प्रदान करना
मानव की चौकीमारी
छोटे छोटे हतियार की बिकरी करना
देशद्रोह और भ्रष्टाचारी
सीबा कैम
वातावरण का अपराध
बौधिक प्रोपटी का अपराध
समुद्री अपराध

दरअसल ऐसा देखा गया है कि लगभग प्रकार की समझौता है*

इस सम्मेलन में भाग लेने के लिये सरकारों को अंतर्राष्ड्डीय दबाव डाला जा रहा है* वे अब अंतर्राष्ड्डीय कानूनी ढाँचा के आधार पर सेवा प्रदान करते हैं जिसे सभी सरकारों के शासन प्रणाली जुड़े हुवे हैं और कानूनी कार्यवाई बनी हुवी है* इस शासन प्रणाली का मुख्य उद्देश्य यह है कि किसी अपराधी मुकदमा से भाग न पाये या निश्चित देश के बाहर बहाना लगाकर न रह पाते*

इस अंतर्राष्ड्डीय समझौते पर दक्षिण प्रशान्त के देशों को मानने की ज़रूरतें सन् ऐऐ में पसीफिक आयलेन्ड्स फोरम न्नारा पहचाना गया जब वह होनियारा डेक्लेरेशन को ग्रहण किया* इसके अतिरिक्त, यू एन सेक्यूरिटी कौन्सेल के टेरारिज़क अर्थात आतंकवाद को रोकने के लिये चपटर छः की शक्ति का प्रयोग करने से, अर्थात एस सी रेसोलुशन की दस्तावेज़ के कारण सरकारों को आतंकवाद की समझौते का हस्ताक्षर लगाना पड़ेगा और अपने अपने कानूनों को स्वयं रद्दो बदल करें*

फीजी की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह सीमान्तर्गत अपराध की रोकथाम के दबाव जो अंतर्राष्ड्डीय समुदाय कह रहा है, और साथ साथ पालन करना मुश्किल होता है*

.. अपराध के कानूनों तथा व्यवस्थाओं के लिये विशेष अंतर्राष्ड्डीय परम्परा

इस समय प्रस्तावित नहीं किया जा रहा है कि इस पुनःविवेचन के प्रसंग से फीजी की समझौतों को क्रमानुसार पुनःविवेचित किया जाये* लेकिन
यह निश्चय है कि फीजी वर्तमान सम्मेलन का एक सदस्य हैः
सन् ऐ के सिंगल कोन्वेनशन ओन नाकोटिक स
सन् ऐ के कोन्वेन्शन ओन सैकोड्डोपिक स
सन् ऐ के यू एन डुफिकिंग कोन्वेन्शन

वह तीन आतंकवाद सम्मेलन का एक सदस्य भी हैः
सन् ऐ के विमान चालकों पर दुव्यवहार की रोकथाम वाले मोन्ड्डील सम्मेलन
सन् ऐके कानून के खिलाफ विमान छीनने की रोकथाम का हेग सममेलन
सन् ऐ के मोन्ड्डील सम्मेलन के अंतर्राष्ड्डीय विमान सेवा करने वाले हवाई अड्डों में कानून के खिलाफ दुव्यवहार

अ लेकिन फीजी उन नौ आतंकवाद सम्मेलनों के सदस्य नहीं है, न ही सन् के डुान्सनेश्नल ओगनैज़्ड क्रैम कोन्वेन्शन न ही वह मानव अदान प्रदान, प्रवासी चौकीमारी, तथा छोटे मोटे हतियारों का अदान प्रदान की परम्परा के सदस्य है और न सन् के भ्रष्टाचारी के खिलाफ सम्मेलन क़ा

. रोमी संविधि अर्थात रोम स्टेट्युट

फीजी ने ऐ नवम्बर ऐऐऐ में अंतर्राष्ड्डीय दण्ड न्यायालय के रोमी संविधि अर्थात स्टेट्युट पर अपना हसताक्षर डाला और स्वीकार भी किया था* उसको तय करना पड़ेगा कि क्या वह इन अपराधों को अपने नये दण्ड विधान में डालें या विशेषतः एक नयी विधि रचे जिसमें सभी अंतर्राष्ड्डीय अपराधों का संक्षेप हो* परिवर्तन न करने से कोई विकल्प नहीं है क्योंकि वर्तमान न्याय–व्यवस्था के आधार पर नये रोम संविधि को पालन करना कठिन बात है* उदाहरण के लिये, फीजी के वर्तमान कानून में 1मानव के खिलाफ दुर्व्यवहार2 के किसी प्रकार के स्पष्ट अपराध नहीं है, और न ही किसी प्रकार की स्पष्ट व्यवस्था है जिसे अभियोग लगाये गये व्यक्ति को अंतर्राष्ड्डीय दण्ड न्यायालय में पेश किया जा सकता*

. फीजी के वर्तमान दण्ड विधान की व्यवस्था और अन्य कानूनी कार्यवाई

वर्तमान दण्ड विधान में अंतर्राष्ड्डीय वचनब़ बहुत कम ध्यान दिया गया है जैसे इस कागजात में लिखा गया है* लागू की गयी व्यवस्था इस प्रकार है:
खण्ड ऐ–जिसमें जाति–संहार प्रकाशित है
अध्याय ऐ जिसका शीर्षक है 1विदेशी सरकारों और बाहरी प्रशान्ति2 से नफरत करने वाले अपराधों जहाँ तीन अपराध देखा गया–1विदेशी राजकुमार का अपमान2 अ खण्ड , विदेशी नौकरी के लिये भरती अ खण्ड , और समुद्री डकैती अ खण्ड .
डिवीज़न वी जिसमें जालसाज़ी, सिक्का ढलाई, नकली पैसा बनवाई और अन्य अपराधें जो अपने उद्गम जालसाज़ी को रोकने के लिये अंतर्राष्ड्डीय सम्मेलन में ग्रट बृटेन का अनुपालन जो अप्रेल ऐऐ को हुवा था*
अध्याय जो 1भ्रष्टाचारी और अधिकार दुरुपयोग2 के बारे में है और यू एन भ्रष्टाचारी सम्मेलन के प्रसंगानुसार है*
यह भी याद करना चाहिये कि जीनीवा कोन्वेन्शेन एक्ट अ कोलोनियल टेरिटोरिस़ के ओडर इन कौन्सेल ऐ यु में दुर्व्यवहार के बारे में थी*

फलतः फीजी ने अभी हाल ही में कई कानूनों को अपनी विधि में डाल चुका है जो विभिन्न प्रकार के अंतर्राष्ड्डीय सम्मेलन और वचनब़ के आधार पर निर्भर है* इसमें शामिल है:

आपराधिक समस्याओं में परस्पर सहायता के अधिनियक ऐऐ अ ऐऐ
आपराधिक समस्याओं में परस्पर सहायता अ संशोधन की बिल
अपराध की कार्यवाई के अधिनियम ऐऐ अ ऐऐ
वापसी अधिनियम अ लागू नहीं है

खतरनाक औषध या ग्स के अधिनियम ऐ
खतरनाक औषध का आदेश ऐऐ
ज़कात अर्थात कस्टम्स का अधिनियम ऐ
दवाखाना और विष का अधिनियम ऐ
खतरनाक औषध अ संशोधन का अधिनियम ऐऐ अ लागू नहीं है
गैरकानूनी औषध का नियंत्रण के अधिनियम अ
विमान उड़ान अ सुरक्षा का अधिनियम ऐऐ
अप्रवास अर्थात इमिग्रेशेन का अधिनियम
पासपोट का अधिनियम

जनता की टिप्पणी की मांग
अंतर्राष्ड्डीय वचनब़ के अनुसार दिये गये सभी व्यवस्थाओं को पालन करने में और अपने कानून की किताबों में डालने की इच्छा फीजी ने निश्चित करने की कोशिश की है* लेकिन ऐसा अनुभव है कि जब इस कार्य में जुटेंगे तो समस्या अवश्य उत्पन्न होगी क्योंकि नये अपराध बिल और आपराधिक कार्यविधि बिल के आधार पर यह सब जोड़ना कोई साधारण बात नहीं है*
कमीशन इस विषय पर विचार अवश्य स्वीकार करेगा* यह विषय इस प्रकार के हो सकताः
किसी भी वर्तमान आपराधिक व्यवस्था के कानून या आकृति जो अंतर्राष्ड्डीय परम्परा को पूरा पालन नहीं कर सकता
पुनःलिखा गया अपराध का अधिनियम, आपराधिक कार्यविधि या सज़ा व दण्ड विधान जो अंतर्राष्ड्डीय परम्परा से निकाली गयी व्यवस्था थी
किसी और प्रस्तावित किये गये कानून जो इन परम्पराओं को ग्रहण करेगा और नये कानून में इसका सुधार नहीं होगा
और अन्य विषय या सुधार जो फीजी को अंतर्राष्ड्डीय परम्परा का पालन करने की व्यवस्था करेगी

भाग मानवाधिकार और आरोप लगाये गये लोगों का अधिकार पर कुछ मुख्य बातें

फीजी के संविधान में कई व्यवस्था है जो फीजी के कानूनों के प्रसंगानुसार अधिकाँश अधिकार, स्वतंत्रता और सुरक्षा प्रदान करता है* इस पुनःविवेचन से निकले हर एक विषय ग्रहण किया जायेगा*

इस संवैधानिक आदेश के अतिरिक्त, आपराधिक न्याय प्रणाली में घसीटा गया व्यक्ति का मानवाधिकार अंतर्राष्ड्डीय परम्परान्तर्गत आदर करना अनिवार्य है* अन्य मानवाधिकार महिलाओं, बच्चों तथा अन्य वर्ग के लोग के लिये है जो बेबस है, निर्धन और फीजी के कानून से सुरक्षा चाहते हैं*
यह परम्परा कुछ ऐसी हैः

. मानवाधिकार की विश्व–घोषणा

जैसे कि इन व्यवस्थाएं आम प्रयोग के लिये है, और हर 1समाज के अंग2 के लिये सामान्य स्तर के लिये है, यह स्पष्ट है कि किसी को कैदी से रिहा करने की इच्छा के नाते पर यह कानून नहीं बना है*

लेकिन वह इतना महत्वपूर्ण है कि इसके पुनःविवेचन के प्रसंग को ध्यान में लाना अति ज़रूरी है और इसको प्रयोग करने का प्रयास करना चाहिये*

इस अधिकार के कई वचन ऐसा हैः

सबके पास जीने का हक है, मुक्ति और सुरक्षा
किसी को गुलामी या दासी मे डालना चाहिये
किसी को सताना नहीं चहिये, न उसको क्रूर, अपमान या नीच व्यवहार किया जाना चाहिये
सबके पास कानून के सामने पहचानने का हक है
किसी को मनमानी से गिरफ्तार या बंदीग्रृह में डाल दिया जाना चाहिये
आपराधिक ज़िम्मेदारी एक निष्पक्ष और न्यायसंगत मुकदमा से दिया जाना चाहिये
किसी को मनमानी से हस्तक्षेप किया जाना चाहिये–अपना एकान्त और वार्तालाप
सबके पास सोचने, आस्था और धर्म मानने का हक है–और अपना धर्म का प्रचार, पालन, पूजा या व्रत करने का हक है
सबके पास शिक्षा प्राप्त करने का हक है

- यू एन से महिलाओं के प्रति हर प्रकार के विभेदीकरण मिठाने का आदेश

- यू एन से बच्चों का हक का आदेश अ सी आर सी

ऋऋऋऋऋऋऋ

कैदियों के प्रति व्यवहार के न्यून्तम–स्तर कानून अ जीनीवा में ग्रहण– ऐऐ

यठुपि यह सब कानून कैदियों की निगरानी के लिये नहीं है तथापि वे यह साधारण तौर पर समझाना चाहते है कि कैदियों के पास स्वयं जीने का हक है और उनका संचालन कैसे किया जा सकता*

जनता से टिप्पणी की मांग

कमीशन पूरे पैमाने पर अपराध के लिये कानूनों को फीजी के प्रसंग में ग्रहण करने का अश्वासन दिलाया है और वह नये कानून के मुताबिक सभी व्यवस्थाओं को शामिल करेंगे

कमीशन स्वयं इस विषय पर विचार विनिमय स्वीकार करेगा* यह विचार कुछ ऐसा होगाः
किसी भी वर्तमान आपराधिक व्यवस्था वाले कानून या आवृति जो ऐसी परम्परा या फीजी वासियों के हक को उल्लंघन कर सकता
पुनःलिखा गया दण्ड विधान, आपराधिक कार्यविधि विधान, या सज़ा व दण्ड विधान के किसी भी व्यवस्था जो इस परम्परा का पूरा समर्थन करेगा और हक को भी पहचानेगा
किसी और विषय या सुधार जो मानवाधिकार की पहचान और सुरक्षा प्रदान कर सकता तथा फीजी के प्रसंग के अनुसार अपराध विधान

फीजी लो रीफोम कमीशन

दण्ड विधान और आपराधिक कार्यविधि विधान का पुनःविवेचन

विषय कागजात न.

सज़ा और दण्ड देने की व्यवस्था पर सुधार

भाग . पृष्टभूमि

. पुनःविवेचन

फीजी लो रीफोम कमीशन एक्ट के खण्ड अ. के तहत हमारे अटोनी जेनरेल और मिनिस्टर फोर जस्टिस सेनेटर नोरीनियासी म्बाले फीजी लो रीफोम कमीशन को पुनःविवेचन के लिये, दण्ड विधान अर्थात पीनल कोड अ केप . और आपराधिक कार्यविधि विधान अ केप. दे रहा है*

.. उद्देश्य

इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि वह बारीकी से दण्ड विधान और आपराधिक कार्यविधि विधान को पुनःविवेचित करे तथा नये रंग लगाकर परिवर्तन की सिफारिशें इन विषयों पर अर्पित करेः

अपराधों
सज़ा या दण्ड
न्याय–व्यवस्था
प्रतिवाद अर्थात डीफेन्स
आपराधिक कार्यविधि

यह सिफारिश स्थानीय और विदेशी अवस्था, परिस्थिति, प्रवृति, और प्रथा से प्रतिबिम्बित और प्रतिक्रियाशील होना चाहिये* ऐसा अनुमान है कि इस पुनःविवेचन से आधारित सुधार–कार्य फीजी को आपराधिक दुर्व्यवहारों और कार्यवाई का एक नया प्रसंग देगा जो फीजी के वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं तथा परिस्थिति के अनुकूल है*

आपराधिक कार्यवाई से संबन्धित कानून इस प्रकार होना चाहियेः

यह तय करे कि अपराधियों को न्यायसंगत मुकदमा मिले
संदेहजनक व्यक्ति या अभियोग लगाये गये लोगों का हक और स्वतंत्रता को सुरक्षित रखे
छान बीन और अपराधों का अभियोग और उनकी सुनवाई के लिये न्यायसंगत, फलप्रद, शीघ्र और कार्यक्षम मुकदमा दिया जाना चाहिये

अंतर्राष्ट्रीय स्तर और हुक्म को पालन करना चाहिये

. पुनःविवेचन की अवधि

सुधार और संबन्धित ड्राफ्ट बिल या ड्राफ्ट प्रोवीशेन को लेकर कमीशन को अपनी अन्तिम रिपोट अपना नापतौल और अपनी सिफारिश अटोनी जेनरेल और मिनिस्टर फोर जस्टिस को डिसम्बर से पहले अर्पित करना चाहिये*

. परामर्शदाताओं की नियुक्ति

फीजी लो रीफोम कमीशन एक्ट के खण्ड अ. के तहत अटोनी जेनरेल ने कमीशन को इस पुनःविवेचन में परामर्श देने के लिये श्री रोस रेय क्यू सी, श्री डेविड नील एस सी और ग्रेहम पावल को नियुक्त किया है* इन परामर्शदाताओं को अन्तिम रिपोट और सुधार के लिये सिफारिश तैयार करने में सहायता देंगे तथा उपयुक्त व्यवस्थाओं की तैयारी करने और ड्राफ्ट बनाने में सहारा देंगे* वे जनता और साझेदारियों के साथ सभा करने की तैयारियाँ भी करेंगे और यह भी तय करेंगे कि इस सभा से उत्पन्न सभी विचारों को ड्राफ्ट परिणाम में छाप दिया जाना चाहिये*

भाग प्रारम्भिक टिप्पणी

 – प्रारम्भिक टिप्पणी

इस कागजात में गिये गये विषयों पर विचार–विमर्श और प्रतिक्रिया दर्शाने की तैयारी की गयी है* परामर्शदाताओं इस क्षेत्र के विशेषज्ञ ही हैं खास करके:
श्री रोस रेय क्यू सी आप अपराध न्यायालय का एक जाने माने वकील हैं, आपको ऐऐ में क्वीन्स कौन्सेल में नियुक्त किया गया था* आप विक्टोरिया बार कौन्सेल का एक भूतपूर्व चेयरमेन थे और अभी हाल ही में आपको ओस्ट्रेलियन लो कौन्सेल के प्रधान नियुक्त किया गया था*
श्री डेविड नील एस सी–आप विक्टोरिया लो रीफोम कमीश्नर थे और कोमन्वेल्थ ओफ ओस्ट्रेलिया के क्रिमिनल कोड एक्ट ऐऐ की तैयारी में आप एक मश्हूर कलाकार थे*
श्री ग्रेहम पावल–आप फीजी और दक्षिण प्रशान्त पड़ोसी देशों के कानूनों की तैयारी में भी एक मश्हूर कलाकार थे*

लेकिन फीजी के प्रसंग से बहुत कुछ सीखना है और सभी विचारों को अमन्त्रित किया गया है* सभी अनुभूतियाँ शिक्षाप्रद हैं और सभी विषयों को पहचाना जायेगा और स्वयं ध्यान दिया जायेगा*

. फीजी की कानून व्यवस्था

दण्ड विधान के अध्याय छः सज़ा के बारे में है* सन् में जब विधान का संशोधन हुवा था तब खण्ड में से मृत्यु दण्ड की सज़ा मिठा दी गयी थी* और स्वयं खण्ड के शारीरिक पिटाई अदालत के आदेश से असंवैधानिक माना गया था* विधान की अन्य व्यवस्थाएं इस प्रकार है:

जेल की सज़ा–खण्ड .

सस्पेन्डेड सेन्टेन्स की सज़ा–खण्ड ऐ
अदालत अतिरिक्त सज़ा देने की शक्ति जहाँ सस्पेन्डेड सेन्टेन्स की सज़ा दी गयी है–खण्ड
जिस अदालत में सस्पेन्डेड सेन्टेन्स की सज़ा देना है–खण्ड
अन्य अपराध का पता लग जाना–खण्ड
आजीवन दण्ड के सबसे कम अवधि–खण्ड
फैन्स अर्थात जुर्माना–खण्ड
कुर्की–खण्ड
फैन न भरने पर जेल की सज़ा को सस्पेन्ड करना–खण्ड
कुर्की की जगह प्रतिज्ञा–खण्ड.
प्रतिज्ञा के बाद में जुर्माना–खण्ड ऐ
वरन्ट के बाद में जुर्माना–खण्ड
शान्ति ग्रहण करने की प्रतिज्ञा–खण्ड
फैसला में हाज़िर होने की प्रतिज्ञा–खण्ड
प्रतिज्ञा लेने से संबन्धित सी पी सी की व्यवस्था–खण्ड
निर्बाध्य और अप्रतिबन्ध मुक्ति–खण्ड
उपअपराध की साधारण सज़ा–खण्ड
पकड़ाने पर भाग खड़े कैदी को शेष जेल की सज़ा–खण्ड.
जुर्माना–खण्ड ऐ

कई अन्य कानून भी है जो सज़ा और दण्ड देने की व्यवस्था आपराधिक कार्यविधि के प्रसंग में प्रचलित है* यह हैः

अपराधियों की परीक्षा का विधान अ केप. ऐ
सामाजिक सेवा का विधान ऐऐ
अपराधियों की पुनःस्थापना अ अप्रसंगिक दोष का विधान ऐऐ

जनता की टिप्पणी की मांग कमीशन शायद यह प्रस्तावित करेगा कि तीन नये कानून बनेगा और यह हैः एक आधुनिक अपराध का विधान एक व्यापक आपराधिक कार्यविधि विधान बिलकुल नवीनतम सज़ा और दण्ड विधान

भाग – कुछ मुख्य बातें

. – सज़ा देने की वर्तमान श्रेणी

नीचे दी गयी सज़ा देने की श्रेणी विचार–विनिमय की सभा में पहचाना गया था* इस बात को ध्यान में लाना चाहिये कि इस सभा में कई साझेदारी कई विकल्प पर प्रश्न किया था क्योंकि हमारे

पास कम समर्थन और सुविधा हैं* परीक्षा और सामाजिक सेवा इस संवर्ग में आती हैं* विकल्प इस प्रकार है:

जुर्माना
शिकारों के लिये हरजाना अ जुर्माना से या अलग से आदेश से
परीक्षा अर्थात प्रोबेशेन ओडर
खण्ड – अच्छे व्यवहार और शान्ति ग्रहण करने की प्रतिज्ञा
खण्ड फैसला के लिये वापस आने की प्रतिज्ञा
जेल की सज़ा की अवधि
जेल की सज़ा को एक साल काटना
सामाजिक सेवा के विधान के आधार पर सामाजिक सेवा
बेदाग से पूरे रिहा हो जाना
प्रतिज्ञासहित रिहा
दाग के साथ रिहा होना

ऊपर जैसे कहा गया है, कि इस विषय सूचि पर हमको एक न्यायसंगत निर्णय लेना पड़ेगा क्योंकि अपराधों की परीक्षा और उनकी समाज सेवा के प्रति कई शिकायत हुवी है* इकरारनामा को भी पसन्द में नहीं आया कयोंकि कई लोग जुर्माना भरने में असमर्थ थे *

जेल की सज़ा देने में स्वयं कई शिकायत उठी है क्योंकि कैदखाने वाले कभी कभी कैदियों को जल्द से जल्द बाहर सज़ा काटने के लिये रिहा कर देते* ऐसा अनुभव भी है कि कई अदालत कैदियों को सज़ा के विकल्प से ही दिनों के लिये रिमान्ड करते हैं*

जनता से टिप्पणी की मांग कमीशन वर्तमान सज़ा देने के विकल्प और परम्परा पर जनता के विचार विमर्श चाहता है* वह भी लोगों से मांग कर रहा है कि वे सज़ा देने का विकल्प बतायें जो नये कानून में ग्रहण किया जा सकता*

. आंशिक सज़ा लटकाने का अतिरिक्त विकल्प

वर्तमान कानून के अनुसार कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जिसमें कैदी की सज़ा के अंश लटका दी जा सकती* दण्ड विधान के खण्ड आंशिक सज़ा की व्यवस्था नहीं करता है* खण्ड में सिर्फ यह कह रहा है कि दो साल ने नीचे वाली सज़ा को ऐसी व्यवस्था दी जा सकती*

जनता की टिप्पणी की मांग कमीशन शायद यह प्रस्तावित करेगा कि अदालत आंशिक सज़ा देने का विकल्प लेने की व्यवस्था करें* इस विकल्प पर विचार स्वीकार्य है

□□ जुर्माना के लिये सज़ा इकाई

ओस्ट्रेलिया और ईर्द गिर्द के देशों की न्याय–व्यवस्था में सभी अपराधों के कानून के लिये विशेष सज़ा इकाई खोल दी गयी है* इस सज़ा इकाई अब पैसे के प्रसंग में जुर्माना की जगह ले चुकी है* उदाहरण के लिये सामोआ में, सज़ा इकाई थ्क्ष्एए में फिक्स है और समय समय पर नियामानुसार रद्दो बदल किया जा सकता है* लाभ यह है कि जुर्माना को इन्फ्लेशेन के आधार पर बढ़ा चढ़ा दिया जा सकता* विक्टोरिया में दरअसल, इन्फ्लेशेन अनुक्रमण किया गया है लेकिन कमीशन ऐसा नहीं करना चहता है*

फीजी के कानून में सज़ा इकाई लागू करना इन विषयों को ध्यान में लाना ज़रूरी है:
सभी कानूनी जुर्माना को पुनःविचार करना होगा* वर्तमान अपराधों में दिये गये किसी भी जुर्माना जो देखा गया है कि वह फायदेमंद नहीं है उसको एक साधारण स्तर पर बढ़ा देना पड़ेगा*
सज़ा इकाई में एक रकम ग्रहण करना होगा अ थ्क्ष्एए यह सावधानी से किसी भी कानून के जुर्माना बन सकता है*
सज़ा इकाई को बढ़ाने के लिये एक विशेष व्यवस्था रचाना ज़रूरी है जब यह ठीक समझा गया हो*

जनता से टिप्पणी की मांग कमीशन शायद प्रस्तावित करेगा कि इस सज़ा इकाई हमारे नये विधि विधान में ग्रहण किया जाये* ऐसा अनुभाव है कि वह आगे प्रस्तावित करेगाः कि सज़ा इकाई को थ्क्ष्एए में बान्ध दिया जाये कि सज़ा इकाई कानूनी तौर पर बढ़ा दिया जाये कि सज़ा इकाई इन्फ्लेशेन रेत से संबन्धित न रहे इस प्रस्ताव के लिये विचार–विनिमय स्वीकार्य है

□□ सज़ा के लिये नये विधि विधान

जनता से टिप्पणी की मांग कमीशन शायद प्रस्तावित करेगा कि ऋऋऋऋऋऋ

□□ अपराध के शिकारों के लिये पुनःस्थापना और हरजाना

वर्तमान कानून के अनुसार अपराध के शिकारों का हक से संबन्धित खोये हुवे सामानों को पुनःस्थापित करने की व्यवस्था बहुत कम है* कुछ व्यवस्था इस प्रकार है:
अपराध विधि विधान के खण्ड □में मेल–मिलाप की व्यवस्था की गयी है* इस मेल–मिलाप में शायद हरजाना ग्रहण किया जायेगा

अपराध विधि विधान के खण्ड . में खोई हुवी प्रोपटी के कई व्यवस्था दी गयी है* इसमें अपने स्वामी के पास प्रोपटी वापस देने की व्यवस्था शामिल है*

अपराध विधि के अध्याय छः में किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है जिसे अपराध के शिकार को हरजाना मिलना चाहिये या पुनःस्थापना और ऐसा विषय सज़ा देने के प्रसंग में ग्रहण किया जा सकता*

ऐसा अनुभव है कि इस प्रकार के विषय पारम्परिक और सामाजिक दृष्टि से कानूनी कार्यवाई में ग्रहण किया जा सकता है, यदि यह विषय में आम समर्थन मिले*–विषय कागजात चार को देखिये

जनता से टिप्पणी की मांग इस विषय पर कमीशन जनता के विचार स्वीकार करता है और यह शायद इन पर आधारित होगाः किसी भी वर्तमान व्यवस्था या न्यायाधिकार जिसे शिकार के प्रोपटी को पुनःस्थापित किया जा सकता और उसको हरजाना मिले* अपराध के शिकार के हक को सुरक्षित करने के लिये किसी भी अधिकार या शक्ति न्याय–व्यवस्था में किसी भी बाधा जिसे सज़ा देने में अपराध के शिकार अपना हरजाना लेने की व्यवस्था रोक सकता अन्य संबन्धित विषय

फीजी लो रीफोम कमीशन

दण्ड विधान और आपराधिक विधि विधान का पुनःविवेचन

विषय कागजात न.

विधिवत् अदालती कार्यवाई और पारम्परिक एवं सामाजिक न्याय–प्रणाली को मिलाने का विकल्प

भाग पृष्टभूमि

. पुनःविवेचन

फीजी लो रीफोम कमीशन एक्ट के खण्ड . के तहत हमारे अटोनी जेनरेल और मिनिस्टर फोर जस्टिस सेनेटर न्गोरीनियासी म्बाले ने फीजी लो रीफोम कमीशन को पुनःविवेचन करने के लिये, दण्ड विधान अ केप . और अपराध कार्यविधि विधान अ केप . दिया है*

. उद्देश्य

इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि वह बारीकी से दण्ड विधान और अपराध विधि विधान को पुनः विवेचित करे तथा नये रंग लगाकर परिवर्तन की सिफारिशें इन विषयों पर अर्पित करेः
अपराधों
सज़ा या दण्ड
न्याय व्यवस्था
प्रतिवाद अर्थात डीफेन्स
आपराधिक कार्यविधि

यह सिफारिश स्थानीय और विदेशी अवस्था, परिस्थिति, प्रवृति और प्रथा से प्रतिबिम्बित और प्रतिक्रियाशील होनी चाहिये* ऐसा अनुभव है कि इस पुनःविवेचन से आधारित सुधार–कार्य फीजी को आपराधिक दुर्व्यवहारों और कार्यवाई का एक नया प्रसंग देगा जो फीजी के वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं तथा परिस्थिति के अनुकूल है*

आपराधिक कार्यवाई से संबन्धित कानून इस प्रकार होना चाहियेः

यह तय करे कि अपराधियों को न्यायसंगत मुकदमा मिले
संदेहजनक व्यक्ति या अभियोग लगाये गये लोगों का हक और स्वतंत्रता सुरक्षित रहे
छान बीन और अपराधों का अभियोग तथा उनकी सुनवाई के लिये न्यायसंगत, फलप्रद, शीघ्र और कार्यक्षम मुकदमा दिया जाना चाहिये
अंतर्राष्ट्रीय स्तर और हुक्म को पालन करना चाहिये

. पुनःविवेचन की अवधि

सुधार और संबन्धित ड्राफ्ट बिल या प्रोवीशेन को लेकर कमीशन को अपनी अन्तिम रिपोट, अपना नापतौल और अपनी सिफारिश अटोनी जेनरेल और मिनिस्टर फोर जस्टिस को डिसेम्बर से पहले अर्पित करना चाहिये*

. परामर्शदाताओं की नियुक्ति

फीजी लो रीफोम कमीशन एक्ट के खण्ड अ. के तहत अटोनी जेनरेल ने कमीशन को इस पुनःविवेचन में परामर्श देने के लिये श्री रोस रेय क्यू सी, श्री डेविड नील एस सी और श्री ग्रहम पावल को नियुक्त किया है* इन परामर्शदाताओं को अन्तिम रिपोट और सुधार के लिये सिफारिश र्तयार करने में सहायता देंगे तथा उपयुक्त व्यवस्थाओं की तैयारी करने और ड्राफ्ट बनाने में सहारा देंगे* वे जनता और साझेदारियों के साथ सभा करने की तैयारियाँ भी करेंगे, और यह भी तय करेंगे कि इस सभा से उत्पन्न सभी विचारों को ड्राफ्ट परिणाम में छाप दिया जाना चाहिये*

भाग प्रारंभिक टिप्पणी

. प्रारंभिक टिप्पणी

इस कागजात में दिये गये विषयों पर विचार विमर्श और प्रतिक्रिया र्दशाने की तैयारी की गयी है* परामर्शदाताओं इस क्षेत्र के विशेषज्ञ ही है खास करके:
श्री रोस रय क्यू सी आप अपराध न्यायालय का एक जाने माने वकील हैं और आपको ऐऐ में क्वीन्स कौन्सेल में नियुक्त किया गया था* आप विक्टोरिया बार कौन्सेल के भूतपूर्व चेयरमेन थे और अभी हाल ही में आपको ओस्ट्रेलियन लो कौन्सेल के प्रधान नियुक्त किया गया था
श्री डेविड नील एस सी आप विक्टोरियन लो रीफोम कमीश्नर थे और कोमन्वेल्थ ओफ ओस्ट्रेलिया के क्रिमिनल कोड एक्ट ऐऐ की तैयारी में आप एक मश्हूर कलाकार थे
श्री ग्रहम पावल आप फीजी और दक्षिण प्रशान्त पड़ोसी देशों के कानूनों की तेयारी में भी एक मश्हूर कलाकार थे*

लेकिन फीजी के प्रसंग से बहुत कुछ सीखना है और सभी विचारों को स्वीकार किया जायेगा* सभी अनुभूतियाँ शिक्षाप्रद हैं और सभी विषयों को पहचाना जायेगा तथा स्वयं ध्यान दिया जायेगा*

.. फीजी के संविधान के तहत हक और स्वतंत्रता

फीजी के संविधान में दो–चार प्रकाशित खण्डों में यह व्यवस्थित है कि फीजी के कई समाज है जिसमें उनके रस्म रिवाज़ का प्रयोग हो सकता है खास करके फीजियन, रोतूमन और बानाबन समाज* यह व्यवस्था कुछ ऐसी है:

कानून के सामने बराबरी का हक

फीजी में कानून के सामने बाराबरी का हक खण्ड . में प्रकाशित है* लेकिन इस हक पर विशेष स्पष्टता चाहिये जो इससे सीधे जुड़े है* यह है:
इस हक को किसी प्रकार के कानून तोड़ नहीं सकता यदि उस व्यक्ति के पास उतना अधिकार है कि वह उस संस्था को रोके या कार्यवाई को बन्द करे जहाँ यह सोचा गया कि पारम्परिक संस्कार ही उपाय है–खण्ड . . ड़ी
किसी भी कानून या कार्यवाई जो अन्य कानून से निकाला गया इस स्वतंत्रता को कम करने के सिवाय फीजियन, रोतुमन या बानाबन समाज का अभिशासन को तैयार करेगा–खण्ड . ऐ

रस्म रिवाज़ वाले कानून और हक

संविधान के खण्ड . में कहता है कि संसद को चाहिये कि वह रस्म रिवाज़ और भेद विवाद के समाधान ढूँढने के कानूनों की व्यवस्था तैयार करे जो फीजियन परम्परान्तर्गत है* और ऐसा करते हुवे संसद को फीजियन और रोतूमन के रस्म रिवाज़, परम्परा, संस्कार, कूटनीति, और अभिलाषा पर ध्यान देना चाहिये*

.. फीजी के अन्य संबन्धित कानूनों

आपराधिक कार्यविधि विधान–खण्ड मेल–मिलाप की बढ़ावा

अदालत अब मुकदमा के फैसले पर मेल मिलाप करने की व्यवस्था करे जिसमें शिकार को हरजाना मिलने की समझौता की जा सकती* यह सिर्फ उस समय हो सकता जहाँः
अपराध जबरदस्त प्रवेश, मार पीट, अक्रमण से शारीरिक चोट, या विधान के तहत किसी भी जानबूझ से क्षति
अपराध में एक व्यक्ति शामिल है या किसी प्राकृतिक जीविका
गंभीर नहीं होना चाहिये

□□ समस्याओं का समाधान–फीजी भर में सामाजिक अदालतों की रिपोट

अभी हाल ही में ग्रेट कौन्सेल ओफ चीफ्स के तरफ से रातू फीलीमोनी रालोंगाइवाऊ ने एक रिपोट तैयार किया था* रिपोट में इसी प्रसंग में कई मुख्य विषय उठा है जो शिक्षाप्रद है* रिपोट के मुख्य लकीर और सिफारिश इस प्रकार के हैंः

संविधान के हुक्म है कि संसद को उन कानूनों की व्यवस्था तैयार करे जिसमें फीजियन परम्परानुसार रस्म रिवाज़ और विवाद सुलझाने के लिये प्रसंग रहे
संविधान में भी हुक्म है कि कानून के सामने बराबरी हो और ऐसा समाधान ढूँढे जिसमें हर समाज हकदार है*
एक अलग फीजियन अदालत प्रणाली सिर्फ इतिहास है और फीजियन समाज में स्थान नहीं रह गया* इस प्रकार के सुधार वर्तमान कानूनी प्रणाली से कायम होना चाहिये
इसका मार्ग–दर्शन ओस्ट्रेलिया से वहाँ के आदिवासी के प्रति कानूनी कार्यवाई की समझौते के आधार पर लिया जायेगा
विशेषतः यह ग्रहण किया गया है कि जैसे जैसे वहाँ के सभी प्रान्तों में अपनी न्याय–प्रणाली मे परिवर्तन ला चुके सिर्फ विक्टोरिया देख चुका है कि इन सुधारों पर बारीकी से व्यवस्थित किया जाना चाहिये*
शहरी और ग्रामीण इलाकों की व्यवस्थाओं मे भिन्नता होनी चाहिये

कमीशन वकीलों को इस रिपोट में भाग लेने के लिये आमन्त्रित किया है

भाग □ कुछ विशेष बातें

□ – दुगना प्रणाली से दूर

अधिकाँश विवरणकार सहमत हैं कि फीजी के कानूनी कार्यवाई में दो प्रणाली नहीं होनी चाहिये* इस प्रकार के सभी सुधार वर्तमान कानूनी प्रणाली में होना चाहिये*

जनता से टिप्पणी की मांग कमीशन शायद प्रस्तावित करेगा कि इस सुधार कार्य हो जाये और शायद यह तय करेगा कि इन व्यवस्थाओं को नये विधि विधान में जोड़ दिया जाये* यह संभव है कि इस कार्यवाई आम सम्मेलन के विचार विनिमय से होगा, विस्तार रूप से नहीं* अर्थात, अदालत के विभिन्न अंगों को यह आदेश

दिया जायेगा कि वे समाज के नेताओं की भूमिका कार्यवाईयों में प्रयोग कर सकते* इसकी तकनीकी और व्यवस्था का विवरण अदालतों के हाथ में दिया जायेगा और जैसे करना चाहते है वैसे कर सकते*

कमीशन जनता की ओर से टिप्पणी स्वीकार करता है

- वर्तमान कानूनी प्रणाली में सुधार जोड़ने की व्यवस्था

जैसे इस कागजात में कहा गया है कि इस प्रकार के सुधार एक नये अदालती प्रणाली स्थापित नहीं करेगा* यह कामकाज अदालतों को अनुमति देता है कि वे इन सुधारों को अपनी कार्यवाईयों और व्यवस्था में जोडें* ऐसा अनुभव है कि शायद ओस्ट्रेलिया के प्रसंग यहाँ अपनाया जायेगा और यह सुधार इन विषयों पर आधारित रहेंगेः

उपयुक्त सज़ा पर निर्णय लेना
अपराधों को जेल की सज़ा से हटाने और उसकी हानि से दूर होने की व्यवस्था
पुनःस्थापन न्याय की धारणा जिसे अपराध के शिकार और निश्चित समाज के सदस्यगण निर्णय ले सकते कि अपराधी को किस प्रकार की सज़ा देनी चाहिये

जनता से टिप्पणी की मांग

कमीशन जनता से टिप्पणी चाहता है इस प्रकार सेः

जहाँ तक सुधार कार्यवाई के लिये समाज का योगदान ले सकता
इस सुधार से उत्पन्न समस्याओं और किसी भी समाधान जिसे इनको सुलझाया जा सके
अन्य संबन्धित विषयों

- एक सुधारी गयी व्यवस्था को सफलतापूर्वक लागू करने के लिये सारकारिक सहायता की मांग

रालोंगाइवाऊ के रिपोट के अनुसार ऐसा सुधार आयोजित ढँग से लागू करना चाहिये, ताकि इस सुधार से ज्यादा फायदा प्राप्त हों* इन आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान दिया गया हैः
अभियोग लगाये गये व्यक्ति के लिये गिल्टी होने से पहले वकील की व्यवस्था दी जाये और इस सुधार को प्रयोग किया जाये
अदालत की ओर से समय का प्रबन्ध ताकि समाज के नेताओं भी शामिल हो सकते
सुधार के कार्यों में भाग लेने वालों को बारीकी से चूनने और प्रशिक्षण करने की व्यवस्था
अपराधों के बारे में जानकारी को एकत्रित करने और प्रदान करने की व्यवस्था
सुधार की व्यवस्थाओं को पुरी तरह से कायम करने के लिये मेजिस्ट्रेट का प्रशिक्षण
अतिरिक्त सज़ा देने की पहचान और इज़ाज़त देने की व्यवस्था
दोनों शहरी और ग्रामीण इलाकों के लिये एक कामयाब प्रणाली

गांजाखोरी, बच्चों के प्रति अत्याचारी, गरीबी और गैरकानूनी व्यवहारों में बढ़ती हुवी प्रशंसा और कानूनी कार्यवाई में कैसे सुलझाया जा सकता

जनता की टिप्पणी की मांग कमीशन इन विषयों के प्रति सुविधा और निपुणता पर कदापि नही बुरा मानेगा जो इस कदम के फायदे या असफलता दिखायेंगे* कमीशन पर फीजी के वर्तमान परीक्षा व प्रोबेशन सेवा पर दया आयी है, और उनके सदस्यता की कमी* लेकिन, कमीशन शायद यह प्रस्तावित करेगा कि संबन्धित कानून इस व्यवस्था को निभाये भले ही कुछ लगेगी, और निश्चित सुविधा और काबिलता रहेगी* कमीशन जनता के विचारों को इस विषय पर स्वीकार करेगा

□□ सुधार कार्य में पूर्व–कल्पना का प्रयोग

रालोंगाइवाऊ रिपोट के अनुसार दक्षिण ओस्ड्रेलिया के lनून्गा कोट2 में यह व्यवस्था तब काम में आती है जब अपराधी गिल्टी ठहरे और सहमत है कि सुनवाई नून्गा कोट में की जाये*

कमीशन सोचता है कि यह व्यवस्था थोड़ा कठोर है क्योंकि अदालत को सामाजिक नेताओं की ओर से योगदान पर सुनवाई में भाग लेने में रोका जा सकता* यह अपराधी को इज़ाज़त दे सकती कि वह अपने नेताओं के सामने ना खड़े होने और सुनवाई में भाग लेने में दूर रह सकता*

जनता से टिप्पणी की मांग कमीशन जनता से इन विषयों पर विचार लेना चाहता है और वे कुछ ऐसे हो सकता है: क्या यह सुधारा गयी व्यवस्था सिर्फ उस समय काम में लाया जायेगा जब अपराधी गिल्टी हो चुकी है? क्या यह सुधारा गयी व्यवस्था सिर्फ उस समय काम मे लाया जायेगा जब अपराधी ने इज़ाज़त दे दी? क्या जज या मेजिस्ट्रेट तय किया कि यह व्यवस्था तब काम में आयेगी जब वह सोचता है कि सज़ा कैदखाने की जगह कुछ और दिया जाना चाहिये? क्या अपराधी मांग कर सकता कि यह व्यवस्था सभी केस या विशेष रूप से काम में लाया जाये? क्या सामाजिक नेताएँ मांग कर सकते कि यह व्यवस्था विशेष अपराधियों या वर्ग के लोगों के लिये कायम किया जाये

दण्ड विधान और आपराधिक कार्यविधि विधान का पुनःविवेचन

विषय कागजात न.

पोलिस अधिकार और कार्यवाई में सुधार

भाग – पृष्टभूमि

पुनःविवेचन

फीजी लो रीफोम कमीशन एक्ट के खण्ड अ. के तहत हमारे अटोनी जेनरेल और मिनिस्टर फोर जस्टिस सेनेटर नोरीनियासी म्बाले फीजी लो रीफोम कमीशन को पुनःविवेचन करने के लिये दण्ड विधान अ केप . और आपराधिक कार्यविधि विधान अ केप . दे रहा है*

. उद्देश्य

इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि वह बारीकी से दण्ड विधान और आपराधिक कार्यविधि विधान को पुनःविवेचित करे तथा नये रंग लगाकर परिवर्तन की सिफारिशें इन विषयों पर अर्पित करेः

अपराधों
सज़ा या दण्ड
न्याय–व्यवस्था
प्रतिवाद या डीफेन्स
आपराधिक कार्यविधि

यह सिफारिश स्थानीय और विदेशी अवस्था, परिस्थिति, प्रवृति और प्रथा से प्रतिबिम्बित और प्रतिक्रियाशील होना चाहिये* ऐसा अनुभव है कि यह पुनःविवेचन से आधारित सुधार कार्य फीजी को आपराधिक दुव्यवहारों और कार्यवाई का एक नया रंग देगा जो फीजी के वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं तथा परिस्थिति के अनुकूल है*

आपराधिक कार्यवाई से संबन्धित कानून इस प्रकार होना चाहियेः
यह तय करे कि अपराधियों को न्यायसंगत मुकदमा मिले
संदेहजनक व्यक्ति या अभियोग लगाये गये लोगों का हक और स्वतंत्रता को सुरक्षित रखे
छान बीन और अपराधों का अभियोग और उनकी सुनवाई के लिये न्यायसंगत, फलप्रद, शीघ्र, और कार्यक्षम मुकदमा दिया जाना चाहिये
अंतर्राष्ट्रीय स्तर और कर्तव्य को पालन करना चाहिये

. पुनःविवेचन की अवधि

सुधार और संबन्धित ड्राफ्ट बिल या प्रोवीशेन को लेकर कमीशन को अपनी अन्तिम रिपोट, अपना नापतौल और अपनी सिफारिश अटोनी जेनरेल को डिसेम्बर से पहले अर्पित करना चाहिये*

. परामर्शदाताओं की नियुक्ति

फीजी लो रीफोम कमीशन एक्ट के खण्ड अ. के तहत अटोनी जेनरेल ने कमीशन को इस पुनःविवेचन में परामर्श देने के लिये श्री रोस रेय क्यू सी, श्री डेविड नील एस सी और ग्रेहम पावल को नियुक्त किया है* इन परामर्शदाताओं को अन्तिम रिपोट और सुधार के लिये सिफारिश तैयार करने में सहायता देंगे तथा उपयुक्त व्यवस्थाओं की तैयारी करने और ड्राफ्ट बनाने में सहारा करेंगे* वे जनता और साझेदारियों के साथ सभा करने की तैयारियाँ भी करेंगे और यह भी तय करेंगे कि इस सभा से उत्पन्न सभी विचारों को ड्राफ्ट परिणाम में छाप दिया जाना चाहिये*

भाग प्रारंभिक टिप्पणी

 – प्रारंभिक टिप्पणी

इस कागजात में दिये गये विषयों पर विचार–विमर्श और प्रतिक्रिया दर्शाने की तैयारी की गयी है* परामर्शदाताओं इस क्षेत्र के विशेषज्ञ ही है खास करके:
श्री रोस रेय क्यू सी आप अपराध न्यायालय का एक जानेमाने वकील हैं आपको ऐऐ में क्वीन्स कौन्सेल में नियुक्त किया गया था* आप विक्टोरिया बार कौन्सेल का एक भूतपूर्व चेयरमेन थे और अभी हाल ही में आपको ओस्ट्रेलियन लो कौन्सेल के प्रधान नियुक्त किया गया था*
श्री डेविड नील एस सी आप विक्टोरियन लो रीफोम कमीश्नर थे और कोमन्वेल्थ ओफ ओस्ट्रलिया के क्रिमिनल कोड एक्ट ऐऐ की तैयारी में आप एक मश्हूर कलाकार थे
श्री ग्रहम पावल जी आप फीजी और दक्षिण प्रशान्त पड़ोसी देशों के कानूनों की तैयारी में सवयं एक मश्हूर कलाकार थे

लेकिन फीजी के प्रसंग से बहुत कुछ सीखना है और सभी विचारों को स्वीकार किया जायेगा* सभी अनुभूतियाँ शिक्षाप्रद हैं और सभी विचारों को पहचाना जायेगा और ध्यान दिया जायेगा*

 फीजी के संविधान से संबन्धित व्यवस्था

मनवाधिकार और उसकी स्वतन्त्रता की व्यवस्था पर फीजी के संविधान को सम्मानित किया जाना चाहिये* पोलिस का अधिकार और कर्तव्य के प्रसंग में इन विषयों शामिल हैं:

आम उपयोग की व्यवस्था:
खण्ड संविधान की व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक मानवाधिकार की बढ़ावा पर आदर सम्मान होना चाहिये

मानवाधिकार की पहचान और काबिलियत की व्यवस्था:
खण्ड सबके पास जीने का हक है और मनमानी से रोका नहीं जाना चाहिये

खण्ड – व्यक्तिगत स्वतंत्रता स्पष्ट होना चाहिये
खण्ड – क्रूर और नीच व्यवहार की व्यवस्था चाहिये
खण्ड – बेमतलब के तालाश और चीज़ पकड़वाने की व्यवस्था तैयार रहे
खण्ड – गिराफ्तार किया गया और बन्दी व्यक्ति का हक स्पष्ट हों
खण्ड . – यदि किसी व्यक्ति को चाज किया गया है उसको समय और सुविधा दिया जाना चाहिये कि उसको वकील और केस लड़ने की तैयारी कर सकता* बिना कानून से किसी सबूत नहीं लेना चाहिये पर यदि न्याय चाहा तब उसको देना चाहिये* अपराधी बिना केस चलाना मना है या उसने निर्णय लिया कि वहाँ न रहना चाहता है* सबके पास उच्च अदालत में अपील करने का हक है* एक अपराध को दो बार चाज करना मना है
खण्ड – हर अभियोग लगाये गये व्यक्ति को न्यायसंगत मुकदमा मिलना चाहिये और उसके समयानुसार केस की बुलवाई होनी चाहिये*
खण्ड – घूमने फिरने का हक
खण्ड – एकान्त के लिये हक
खण्ड . – कानून के सामने बराबरी का हक रहे

खण्ड में इन अधिकारों की व्यवस्था की गयी है* और खण्ड में हूमन रैट्स कमीशन की व्यवस्था है*

. फीजी के अन्य संबन्धित कानून

गैरकानूनी औषधी रोकने का विधान

इस विधान के खण्ड में पोलिस को हुक्म दिया जा रहा है कि वह हाई कोट से इज़ाज़त ले कि संदेहजनक लोगों के व्यवहार, और वार्तालाप जिसमें शामिल है टेलेकोमुनिकेशन को गिरफ्तार करे*

भाग – कुछ मुख्य बातें

 – पोलिस के अधिकार की आकृति जो नये कानून में जोड़ा जा सकता नये कानून के तहत रचाये जा सके

साझेदारियों के साथ विचार–विनिमय की शुरुआत में, खास करके पोलिस छान बीन करने वालो के साथ, ऐसा निर्णय लिया गया था कि पोलिस की शक्ति पर पुनःविवेचन करना और उनको बढ़ाना ज़रूरी है* यह उपयुक्त है कि ऐसा सुधारकार्य को लिखने से पहले जनता की टिप्पणी चाहिये*

निर्णय लिये गये विषयों इस प्रकार हैः
टेलिफोन को बीच में सुनना
अभियोग लगाये गये लोगों की डी एन ए परीक्षण
कागजातों को जबरदस्त पकड़ना जिसमें उपयुक्त जानकारी हो
चोरी चन्डाली के केस में बेन्क अकौन्ट का रोकथाम
चुराये गये पैसों को पकड़ने में पोलिस का अधिकार

जनता से टिप्पणी की मांग
कमीशन ने निश्चय किया है कि वह पोलिस को उपयुक्त अधिकार देने के लिये पूरे समर्थन देगा, ताकि वह आधुनिक अपराधों की छानबीन कर सकता और आधुनिक सुविधाओं को छान बीन के समय प्रयोग करें
कमीशान इस विषय पर विचार स्वीकार करता है* यह विचारों शायद इन विषयों से संबन्धित होंगेः

किसी अतिरिक्त शक्ति जो निर्णय के लिये उपयुक्त है
किसी अतिरिक्त टेक्नोलोजी और कार्यविधि जो पोलिस को सहायता दे सकती है और इस प्रसंग में ग्रहण किया जा सकता
किसी भी मानवाधिकार की रक्षा और अभियोग लगाये गये व्यक्ति का हक जो आम तौर पर या विशेषतः इस प्रसंग में ग्रहण किया जा सकता

- टेलिफोन बातचीत को बीच में सुनना

यह विषय टेलेकोमुनिकेशन एक्ट का हक है

- डी एन ए परीक्षण

यदि पोलिस के पास डी एन ए साम्पल लेने का अधिकार दिया गया हो, तो कई विषय और कार्यविधि को पालन करना होगा* इस प्रसंग में इन विषयों पर निर्णय लेना ज़रूरी हैः

परीक्षण लेने से व्यक्ति की इज़ाज़त पहले प्राप्त करना ज़रूरी है
बिना व्यक्ति की इज़ाज़त से डी एन ए परीक्षण लेने से पहले उपयुक्त अधिकार की ज़रूरतें और उस परीक्षण लेने का लेख मिलना चाहिये* यह संभव होना चाहिये कि अधिकार संतुष्ट है कि परीक्षण से छान बीन कार्य सहुलियत था, और निश्चित व्यक्ति फलाना अपराध के जाल में सचमुच फँसा हुवा है*
परीक्षण कार्य में नियन्त्रण होना चाहिये और जो लोग परीक्षण ले रहे हैं उनको बारीकी से वैज्ञानिक तौर पर परीक्षण लेना चाहिये और स्वयं अच्छी तरह से रिपोट प्रबन्ध करना चाहिये* यह उपयुक्त है कि ऐसा परीक्षण सिर्फ अनुमोदित की गयी संस्था ही करे जिनके पास अनुमोदित सुविधा है
यह उपयुक्त है कि परीक्षण के सभी सबूत और कागजात विमुक्ति के बाद पूरे पैमाने पर जला देना चाहिये और रिकोर्ड से एक दम मिठा देना पड़ेगा

जनता से टिप्पणी की मांग

कमीशन शायद यह प्रस्तावित करेगा कि नये पुनःलिखा गया कानून के तहत डी एन ए साम्पल लेने का अधिकार पोलिस को दिया जाये जैसे ऊपर कहा गया है* जनता की टिप्पणी इस विषय पर स्वीकार्य है और शायद इन विषयों से जुड़े हुवे हैः

जिस अपराध के कारण डी एन ए लेना पड़ा

अनजान अपराधी के डी एन ए परीक्षण लेने का उपयुक्त अधिकार
डी एन ए अनजान परीक्षण के अधिकार लेने का आधार
जिस परिस्थिति में डी एन ए साम्पल और निश्चित रिकोर्ड को नाश करने का अधिकार दिया गया था
अन्य विषय जिसे पोलिस को छान बीन करने में सहायता प्रदान करेगा जिसमें डी एन ए परीक्षण की सही सुविधा और संबन्धित टेकनोलोजी और व्यवस्था प्रयोग किया गया था
इस प्रसंग में किसी और विषय जिसे मानवाधिकार और अभियोग लगाये गये व्यक्ति का हक सुरक्षित रहे

- गोपनीय और छिपा गया कागजात

जिन पोलिस अफ्सरों को वकील से गोपनीय रिकोर्ड ढूँढना पड़ता है कभी कभी झगड़े में वकील और क्लैन्ट के हक के कारण फँस जाते हैं* शायद ऐसी स्थिति भी होगी जहाँ गुप्तता और एकान्तता की बात उठती है*

ऐसा तर्कसंगत भय है कि विवादनीय कागजात की सुरक्षा खतरा में हो सकता जबकि अदालत में शरण की मांग हो रही है और अन्य संस्थाएँ विशेष सुविधा, गोपनीयता, और एकान्त की परिस्थिति, विस्तार रूप तथा क्लेम किया जा रहे अधिकार पर निर्णय ले रहे हैं* कमीशन हर तरफ से उत्पन्न न्यायसंगत शिकायतों का समाधान ढूँढने में उत्सुक है*

जनता से टिप्पणी की मांग

कमीशन शायद यह प्रस्तावित करेगा कि छान बीन के समय पोलिस को उन कागजातों को अपनी कस्टडी में एक उपयुक्त वरन्ट या अधिकार से रखें भले वह विशेष, गुप्त, या एकान्त के कारण क्लेम किया गया है* उनके लिये निरीक्षण बिना रखने की व्यवस्था की जायेगी जब तक निश्चित हक निर्णय किया गया है*

- बेन्क अकौन्ट का हिमीकरण या चुराये गये पैसों को पुनःप्राप्ती

ड या चोरी वाले केस में पोलिस से आश्वासन मिला है कि वे बेन्क अकौन्ट में हिमालय ताला लगा सकते हैं* एक लक्ष्य यह है कि दुरुपयोग किये गये पैसों को सुरक्षित रूप से बान्ध लिया जाये ताकि निश्चित समय पर सही मालिक के पास वापिस किया जा सकता*

इसी प्रकार की शक्ति पैसे की रचना वाले कानुन में प्रयोग किया जा सकता है*

पोलिस स्वयं तर्कसंगत निराश है कि कैदखाने में डाल दिया गया व्यक्ति, बेन्क से किसी षड्यंत्र से जेल काटने के तुरन्त बाद, पैसा निकाल लेते*

जनता से टिप्पणी की मांग

कमीशन इन विषयों पर जनता की टिप्पणी स्वीकार करता है और वे शायद इस प्रकार होंगेः

अकौन्ट पर हिमालय ताला लगाने का उपयुक्त अधिकार
अकौन्ट पर हिमालय ताला लगाने का उपयुक्त अधिकार दिया जाने का आधार
दुरुपयोग किये गये पैसे को वापिस प्राप्त करने के लिये पोलिस को किस प्रकार के अधिकार या व्यवस्था मिलना चाहिये
ऐसा अधिकार के संबन्ध में किस प्रकार के रक्षा–उपाय मिलना चाहिये
अन्य संबन्धित विषय*